[2022] 12 एस. सी. आर 1113

हरभजन सिंह

वी.

हरियाणा राज्य और ओ. आर. एस.

(2014 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 735)

20 सितंबर, 2022

[हेमंत गुप्ता और विक्रम नाथ, जे. जे.]

पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966। 72 हरियाणा सिख

गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम, 2014-अंतर-राज्य निगम अधिनियम। 1957 – एसएस। 3 , 4 – राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956-चाहे एस। 72 1966 अधिनियम और एस. एस. 3 और 1957 के अधिनियम के 4, संक्रमणकालीन प्रावधान थे-आयोजितः 1957 का अधिनियम केंद्र सरकार को समय-समय पर निर्देश जारी करने का अधिकार देने के लिए एक कानून है ताकि अलग-अलग राज्यों के निर्माण के कारण नए राज्यों में वैधानिक निकाय सुचारू रूप से काम कर सकें-केंद्र सरकार निर्देश जारी कर सके।

1957 के अधिनियम के संदर्भ में केवल राज्यों के पुनर्गठन को प्रभावी बनाने के लिए ताकि अंतर-राज्य इकाई इस प्रकार गठित राज्यों में वैधानिक जनादेश का कार्य करने और निर्वहन करने में सक्षम हो-ऐसे निर्देश

ये परिवर्तनशील प्रकृति के थे ताकि अंतर-राज्य निगमों के कामकाज में बाधा या कटौती न हो

राज्यों का पुनर्गठन-न तो 1956 के अधिनियम और न ही 1966 के अधिनियम और न ही 1957 के अधिनियम ने राज्यों की विधायी क्षमता को छीन लिया है।

राज्य उन विषयों पर कानून बनाएँ जिनका उल्लेख सातवीं अनुसूची की सूची II में मिलता है और/या सातवीं अनुसूची की सूची III में आने वाले मामलों के संबंध में निर्धारित तरीके से -

संस्थान-गुरुद्वारा।

भारत का संविधानः विधायी क्षमता चाहे -

हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम, 2014 हरियाणा राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता के अंतर्गत आता है या यह संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 44 में आता है। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो संसद को इस संबंध में विधायी शक्ति प्रदान करता है - जिन विषयों पर राज्य को सूची II के संदर्भ में विधायी क्षमता प्राप्त है, इसलिए संक्रमणकालीन प्रावधान यानी 1966 का अधिनियम या अंतर-राज्य निगम अधिनियम 1957 राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता को प्रभावित नहीं करता है।

सूची II-प्रविष्टि 32 में उल्लिखित विषय अनिगमित से संबंधित हैं।

व्यापार, साहित्यिक, वैज्ञानिक, धार्मिक और अन्य समाज और ऐसे मामलों के संबंध में संघ, सक्षम विधायिका

राज्य है-सूची I की प्रविष्टि 44 के संदर्भ में, संसद का अधिकार क्षेत्र केवल तभी होगा जब सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 के तहत शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एस. जी. पी. सी.) एक अंतर-राज्य इकाई बनी रहेगी-उत्तराधिकारी राज्यों का अधिकार क्षेत्र या तो एक नए कानून को निरस्त करने, संशोधित करने या अधिनियमित करने के लिए 1966 के अधिनियम द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया है-एस. जी. पी. सी. अंतर-राज्य निकाय निगमित बन गया है, प्रविष्टि 44 सूची I के कारण नहीं, बल्कि पूर्ववर्ती पंजाब राज्य के क्षेत्रों के पुनर्गठन के कारण-इसलिए, प्रविष्टि 44 को 2014 के अधिनियम-सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925-धार्मिक संस्थानों-गुरुद्वारा को लागू करने के लिए हरियाणा राज्य की विधायी क्षमता के संबंध में कोई प्रयोज्यता नहीं होगी।

भारत का संविधानः कला. 254 (2) - राष्ट्रपति की मंजूरी-चाहे हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम के लिए आवश्यक हो,

2014 – आयोजित किया गयाः समवर्ती सूची में प्रविष्टियों के लिए राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होगी यदि कोई मौजूदा कानून है और राज्य का कानून केंद्रीय कानून के कुछ प्रावधानों के विपरीत है-हालांकि 2014 के अधिनियम के तहत गठित हरियाणा समिति धार्मिक उद्देश्यों के संबंध में है, लेकिन मुख्य इरादा राज्य में सिखों के मामलों के प्रबंधन के लिए न्यायिक इकाई को शामिल करना है -

ऐसी न्यायिक इकाई का समावेश अधिक उचित रूप से सूची II की प्रविष्टि 32 के दायरे में आता है और सातवीं अनुसूची की सूची III की प्रविष्टि 28 के दायरे में नहीं आता है-2014 के अधिनियम की वैधता के लिए राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता नहीं है।

भारत का संविधानः कलाएँ। 25 और 26-स्वतंत्रता का अधिकार

क्या हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम, 2014 कला के तहत याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। 25 और संविधान की धारा 26 ताकि याचिकाकर्ताओं को संविधान के Art.32 के तहत अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने का अधिकार दिया जा सके-आयोजितः 2014 अधिनियम 1925 के अधिनियम के समान है, अन्य बातों के साथ-साथ इसके समान प्रावधान हैं - अधिनियम के तहत मामलों का प्रबंधन करने के लिए एक समिति का गठन-राज्य में धार्मिक अल्पसंख्यकों के मामलों को उसी तरह सिखों के हाथों में छोड़ दिया जाता है जैसे 1925 के अधिनियम के तहत था-क्योंकि राज्य में सिख अल्पसंख्यकों के मामलों का प्रबंधन केवल सिखों द्वारा किया जाना है, इसलिए इसे कला के तहत प्रदत्त किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है। 25 और संविधान की 26 रिट याचिका हरभजन सिंह बनाम पर विचारणीय है।

हरियाणा राज्य और ओ. आर. एस.

इस आधार पर कि उक्त रिट याचिकाएं इस न्यायालय के समक्ष लगभग 8 वर्षों से लंबित हैं, जिसमें एक अंतरिम आदेश पूरे समय से लागू है-इसके अतिरिक्त, विशुद्ध रूप से कानूनी होने के कारण, दोनों मामलों में उत्पन्न होने वाले मुद्दों को अंतिम रूप देने के लिए प्रश्नों की जांच की गई है।

रिट याचिकाओं और अपील को खारिज करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. क्या पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 72 और अंतर-राज्य निगम की धारा 3 और 4 अधिनियम, 1957 अलग राज्यों के निर्माण से उत्पन्न होने वाले मुद्दों की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए संक्रमणकालीन प्रावधान थे।

1.1 1957 का अधिनियम केंद्र सरकार को समय-समय पर निर्देश जारी करने का अधिकार देता है ताकि अलग-अलग राज्यों के निर्माण के कारण नए राज्यों में ऐसे वैधानिक निकाय सुचारू रूप से काम कर सकें। यह "अंतर-राज्य निगम" को अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी अधिनियम के तहत गठित किसी भी निकाय के रूप में परिभाषित करता है और 1956 के अधिनियम की धारा 109 के आधार पर दो या दो से अधिक राज्यों में कार्य करता है। इसलिए, ऐसे अंतर-राज्य निगमों के संबंध में, केंद्र सरकार 1957 के अधिनियम के संदर्भ में केवल राज्यों के पुनर्गठन को प्रभावी बनाने के लिए निर्देश जारी कर सकती है ताकि अंतर-राज्य इकाई इस प्रकार गठित राज्यों में वैधानिक जनादेश का कार्य करने और निर्वहन करने में सक्षम हो सके। इस तरह के निर्देश संक्रमणकालीन प्रकृति के थे ताकि अंतर-राज्य निगमों के कामकाज में बाधा या कटौती न हो।

राज्यों का पुनर्गठन। न तो 1956 के अधिनियम और न ही 1966 के अधिनियम और न ही 1957 के अधिनियम ने उन विषयों पर कानून बनाने के लिए राज्यों की विधायी क्षमता को छीन लिया है जिनका उल्लेख सातवीं अनुसूची की सूची II में और/या सातवीं अनुसूची की सूची III में आने वाले मामलों के संबंध में निर्धारित तरीके से मिलता है।

1956 का अधिनियम या 1966 का अधिनियम केंद्र सरकार को अंतर-राज्य इकाई को कार्यात्मक बनाने के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार देता है, लेकिन केंद्र सरकार को इसमें कानून बनाने का अधिकार नहीं दिया गया है।

ऐसे अंतर-राज्य निकायों का सम्मान जो राज्यों के पुनर्गठन के कारण एक या एक से अधिक राज्यों में कार्यरत हो गए। [पारस 32 और 33] [1141-एफ-एच; 1142-ए-बी]

1.2 1966 के अधिनियम की धारा 72 के तहत निर्देश जारी करने की केंद्र की शक्ति [2022] 12 एस. सी. आर. सुनिश्चित करने के लिए एक संक्रमणकालीन प्रावधान है।

निगमित निकाय का सुचारू और निरंतर कार्यकरण ताकि यह

पूर्ववर्ती पंजाब राज्य के पुनर्गठन के कारण एक अंतर-राज्य निकाय निगम बनने पर लकवाग्रस्त नहीं है। धारा 72 द्वारा अनुध्यात निर्देश ऐसे निगमित निकाय के कार्यकरण और संचालन से संबंधित हैं। एक सक्षम राज्य विधायिका अपने दायरे में आने वाले विषयों पर कानून बनाने की अपनी शक्ति से वंचित नहीं है।

सातवीं अनुसूची की सूची II के संदर्भ में अधिकारिता। 1966 का अधिनियम राज्य विधानमंडल को सातवीं की सूची II के तहत आने वाली अपनी विधायी क्षमता के क्षेत्रों में कानून बनाने से नहीं रोकता है। अनुसूची या यहां तक कि सातवीं अनुसूची की सूची III में, संविधान में निर्धारित सीमाओं के अधीन [पैरा

46] [1160 - ए-सी]

2. क्या विवादित अधिनियम (2014 का हरियाणा अधिनियम) हरियाणा राज्य की विधायी क्षमता के अंतर्गत आता है

विधानमंडल या यह संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 44 में आता है?

2.1 एस. जी. पी. सी. एक बोर्ड था जो वर्ष 1966 में राज्य के पुनर्गठन से पहले अंतर-राज्य निकाय निगम था।

असंबद्ध व्यापार, साहित्यिक, वैज्ञानिक, धार्मिक और अन्य समाज और संघ। इस तरह के असंबद्ध व्यापार, साहित्यिक, वैज्ञानिक, धार्मिक और अन्य समाजों और संघों के संबंध में, सक्षम विधायिका राज्य है। सूची I की प्रविष्टि 44 के संदर्भ में, संसद का अधिकार क्षेत्र केवल तभी होगा जब 1925 के अधिनियम के तहत एस. जी. पी. सी. एक अंतर-राज्य इकाई बनी रहे। उत्तराधिकारी राज्यों का अधिकार क्षेत्र या तो किसी नए कानून को निरस्त करने, संशोधित करने या लागू करने के लिए 1966 के अधिनियम द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया है, हालांकि यह संविधान के अनुच्छेद 2,3 और 4 के अर्थ के भीतर एक विशेष कानून है। एस. जी. पी. सी. प्रविष्टि 44 सूची I के कारण नहीं, बल्कि पूर्ववर्ती पंजाब राज्य के क्षेत्रों के पुनर्गठन के कारण अंतर-राज्य निकाय निगमित बन गया। अतः, प्रविष्टि 44 हरियाणा अधिनियम को लागू करने के लिए हरियाणा राज्य की विधायी क्षमता के संबंध में कोई प्रयोज्यता नहीं होगी। [पैरा 48] [1162 ई-एच; 1163-ए]

2.2 1966 के अधिनियम के साथ-साथ 1957 का अधिनियम इन शक्तियों को प्रदान करता है -

नए राज्यों के सुचारू रूप से हस्तांतरण के लिए केंद्र सरकार-हरभजन सिंह बनाम।

पुनर्गठन के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आना। 1966 के अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो उन विषयों के संबंध में संसद को विधायी शक्ति प्रदान करता है जिन पर सूची II के संदर्भ में राज्य की विधायी क्षमता है। इसलिए, संक्रमणकालीन प्रावधान अर्थात 1966 का अधिनियम या 1957 का अधिनियम राज्य की विधायी क्षमता को बाधित नहीं करता है।

सूची-2 में उल्लिखित विषयों पर कानून बनाने के लिए विधायिका। [पैरा 51] [1163-एफ-जी] 3. क्या विवादित अधिनियम सूची-III (समवर्ती सूची) अनुसूची VII में आता है, जिसके लिए राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है

भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 (2) के अनुसार, और इस तरह की सहमति के अभाव में, भारत शून्य है? 3.1 विवादित हरियाणा अधिनियम सातवीं अनुसूची की सूची III की प्रविष्टि 28 में नहीं आता है। प्रविष्टि 28 में धर्मार्थ संगठन शामिल हैं और

धर्मार्थ संस्थान, धर्मार्थ और धार्मिक दान और धार्मिक संस्थान। समवर्ती सूची में इस तरह की प्रविष्टि को देखते हुए, राज्य दान, धर्मार्थ संस्थानों, धर्मार्थ और धार्मिक दान और धार्मिक संस्थानों के संबंध में कानून बना सकता है। यदि कोई मौजूदा क़ानून है और राज्य का कानून कुछ कानूनों के विपरीत है तो राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होगी।

3.2 भले ही यह माना जाए कि हरियाणा अधिनियम सूची III की प्रविष्टि 28 को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन इसे इस कारण से अमान्य नहीं कहा जा सकता है कि इसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित नहीं रखा गया है। ऐसा तर्क इस पर आधारित है कि क्योंकि 1925 का अधिनियम एक अंतर-राज्यीय विधान है, इसलिए राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। 1925 का अधिनियम था

मूल रूप से राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित एक अंतर-राज्यीय विधान। बाद में यह केवल 1966 के अधिनियम के आधार पर एक अंतर-राज्यीय निकाय बन गया। चूंकि राज्य विधानमंडल को प्रदत्त कानून बनाने की शक्ति किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हुई है, इसलिए [2022] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4. क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत याचिकाकर्ताओं के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है, ताकि याचिकाकर्ताओं को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू करने का अधिकार मिल सके? 4.1 2014 का हरियाणा अधिनियम 1925 के अधिनियम के समान है जिसमें अधिनियम के तहत मामलों के प्रबंधन के लिए एक समिति के गठन के समान प्रावधान हैं। हरियाणा समिति है

गुरुद्वारों और गुरुद्वारों के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए हरियाणा अधिनियम की धारा 3 के तहत गठित समिति

हरियाणा अधिनियम की धारा 2 (च) के संदर्भ में किसी गुरुद्वारे या किसी संस्था की सभी चल और अचल संपत्तियों का अर्थ है, जो - नियत दिन से ठीक पहले, किसी बोर्ड, न्यास, समिति, गुरुद्वारा प्रबंधन के नाम पर निहित या जमा में रखा गया था या 1925 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत विनियमित किया जा रहा था। समिति के सदस्यों का चुनाव योग्य मतदाताओं में से किया जाना चाहिए जो अमृतधारी सिख, एक सिख है और जिसकी आयु अठारह वर्ष है, लेकिन जो एक पतित सिख नहीं है और जो एक सिख नहीं है।

दिवालिया, मानसिक रूप से मंद या एक पागल व्यक्ति। सह-विकल्प केवल समुदाय के सदस्यों से है। इसलिए, राज्य में धार्मिक अल्पसंख्यक यानी सिखों के मामलों को उसी तरह सिखों के हाथों में छोड़ दिया जाता है जैसे 1925 के अधिनियम के तहत था। हरियाणा अधिनियम हरियाणा सिख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग के लिए भी उसी तरह का प्रावधान करता है जैसा कि 1925 के अधिनियम के तहत प्रदान किया गया है। गुरुद्वारे के कार्यों का प्रबंधन फिर से स्थानीय गुरुद्वारा समिति द्वारा किया जाना आवश्यक है। जिस समय से मामले

राज्य में सिख अल्पसंख्यकों का प्रबंधन केवल सिखों द्वारा किया जाना है, इसलिए इसे संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत प्रदत्त किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है। [पैरा 55] [1164-एच; 1165-ए-डी]

4.2 रिट याचिका इस आधार पर विचारणीय है कि उक्त रिट याचिकाएं इस न्यायालय के समक्ष लगभग हरभजन सिंह बनाम के लिए लंबित हैं।

हरियाणा राज्य और ओ. आर. एस.

8 जिन वर्षों में एक अंतरिम आदेश लागू किया गया है

सब जगह। इसके अतिरिक्त, विशुद्ध रूप से कानूनी होने के कारण, दोनों मामलों में उत्पन्न होने वाले मुद्दों को अंतिम रूप देने के लिए प्रश्नों की जांच की गई है [पैरा 56] [1165-ई]

5. दीवानी अपील सं। 6614 वर्ष 2022 में, अपीलार्थी को अतिरिक्त आयुक्त गुरुद्वारा के रूप में पांच साल के लिए नियुक्त किया गया था।

29.8.2014 पर चुनाव। अतिरिक्त आयुक्त गुरुद्वारा चुनाव का पद हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम, 2014 के तहत था। उपरोक्त अधिनियम की शक्तियों को इस न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है। अपीलार्थी ने इस न्यायालय द्वारा रोक को देखते हुए किसी भी कार्य का निर्वहन नहीं किया है। इसलिए नियुक्ति को रद्द कर दिया गया। अपीलार्थी को पाँच साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था, यहां तक कि जिस कार्यकाल के लिए अपीलार्थी को नियुक्त किया गया था, वह भी समय के साथ समाप्त हो गया है। इसलिए, अपीलार्थी के पास वर्तमान अपील में कोई कारण नहीं है। [पारस 59,60 और 61] [1165-एच; 1166-ए-बी]

2011 एस. सी. सी. ऑनलाइन पी. एंड एच. 17374; दयानंद एंग्लो-वैदिक महाविद्यालय प्रबंध समिति बनाम। पंजाब राज्य और अन्य। 1971 एस. सी. सी. ऑनलाइन पी एंड एच 257; कश्मीर सिंह बनाम। भारत संघ और अन्य। 2002 एससीसी ऑनलाइन पी एंड एच 766 - स्वीकृत।

भारत संघ बनाम। राजेंद्र एन. शाह और अन्र। 2021 एससीसी

ऑनलाइन एससी 474-लागू नहीं होता है।

मुल्लापेरियार पर्यावरण संरक्षण मंच बनाम। संघ

भारत और ओआरएस। (2006) 3 एससीसी 643: [2006] 2 एससीआर 740

- प्रतिष्ठित।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला बनाम। पंजाब

विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ और अन्य। (1996) 11 एस. सी. सी. 411; कश्मीर सिंह बनाम भारत संघ और अन्य। (2008) 7 एससीसी 259: [2008] 8 एससीआर 464; डी. ए. वी. कॉलेज, आदि। आदि. वी. पंजाब राज्य और अन्य। (1971) 2 एससीसी 269: [1971]

पूरक। एससीआर 677-पर निर्भर।

श्रीमती. स्वर्ण लता बनाम। भारत संघ और अन्य। (1979) 3 एससीसी 165: [1979] 2 एस. सी. आर. 953; जगतर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1972) 1 एस. सी. सी 171; माँ वैष्णो देवी महिला [2022] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2 एस. सी. सी. 617 [2012] 13 एस. सी. आर. 810; नजीर अहमद बनाम। द. राजा-सम्राट आकाशवाणी 1936 पी. सी. 253 (2); केरल राज्य और

ओआरएस। वी. केरल रेयर अर्थ एंड मिनरल्स लिमिटेड और अन्य।

(2016) 6 एससीसी 323: [2016] 5 एस. सी. आर. 515-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2016] 5 एससीआर 515

संदर्भित किया गया है

पैरा 17

[2012] 13 एससीआर 810

पैरा 22

संदर्भित किया गया है

(1996) 11 एस. सी. सी. 411

पैरा 24

उस पर भरोसा करें

[2008] 8 एससीआर 464

उस पर भरोसा करें

पैरा 25

[1979] 2 एससीआर 953

पैरा 34

संदर्भित किया गया है

(1972) 1 एससीसी 171

संदर्भित किया गया है

पैरा 34

[1971] पूरक। एससीआर 677

उस पर भरोसा करें

पैरा 36

[2006] 2 एससीआर 740

पैरा 41

प्रतिष्ठित

नागरिक मूल/अपीलीय न्यायनिर्णयः लेखन याचिका

(सिविल) 2014 की सं. 735।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत) के साथ

2019 की लिखित याचिका (सिविल) सं. 1116 और सिविल अपील सं. 6614 में से

2022 .

के. एम. नटराज, ए. एस. जी., अनिल ग्रोवर, गौरव लिब्रहान, अजय बंसल,

ए. ए. जी. एस., वी. गिरि, राकेश द्विवेदी, सुश्री वी. मोहना, रंजीत कुमार, श्याम दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता। , संचार आनंद, सुश्री सुवेनी भगत, सुश्री आस्था प्रसाद, श्रीरंग बी. वर्मा, रितेश खत्री, गगन गुप्ता, सुश्री शिरीन खजुरिया, सुश्री तनिषा सामंत, चेतन जोशी, सुश्री संसृति पाठक, अनिरुद्ध बाखरू, रजत नायर, अनुज श्रीनिवास उदुपा, नकुल चेंगप्पा के. के., ए. के. शर्मा, चित्रांश शर्मा, विनायक शर्मा, सिद्धार्थ बत्रा, सुश्री अर्चना यादव, सुश्री शिवानी चावला, चिनमय दुबे, हेमंत गुप्ता, दीपक ठुकराल, संजय कुमार विसेन, राहुल खुराना, सुरेश कुमार भान, आदित्य देशमुख, सुश्री पायल गुप्ता, संदीप जोशी, आलोक शर्मा।

हरियाणा राज्य और ओ. आर. एस.

हितेश कुमार शर्मा, अखिलेश्वर झा, सुश्री कावेरी उपाध्याय, सुश्री निहारिका द्विवेदी, एस. के. राजोरा, डॉ. विपिन गुप्ता, अभिनव मुखर्जी, सुश्री बिहू शर्मा, अक्षय सी. श्रीवास्तव, सुश्री प्रतिष्ठा विज, गौरव यादव, सुश्री वीणा बंसल, जसबिर सिंह मलिक, सुश्री उषा नंदिनी वी., विश्व पाल सिंह, श्रीमती कमलदीप गुलाटी, अरविंद कुमार शर्मा, सुश्री उत्तरा बब्बर, तुषार बख्शी, गुरमीत सिंह मक्कर, दीपक गोयल, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

हेमंत गुप्ता, जे।

लिखित याचिका (नागरिक) सं। 735 2014 का और लिखित याचिका (नागरिक) सं। 1116 2019 का 1. उपरोक्त रिट याचिकाओं को हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम, 2014 को चुनौती देने के लिए प्राथमिकता दी जाती है।

अनुसूची I में उल्लिखित हरियाणा राज्य में ऐतिहासिक गुरुद्वारों के प्रबंधन के लिए इकाई; अनुसूची II में Rs.20 लाख से अधिक की आय वाले गुरुद्वारे और अनुसूची III में Rs.20 लाख से कम की आय वाले गुरुद्वारे। 2. हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्या 28-3 ए) के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में यह प्रावधान है कि यह विधेयक एक ऐसी कानूनी प्रक्रिया प्रदान करने का एक गंभीर प्रयास है जिसके द्वारा गुरुद्वारों को उनके मूल और आदतन उपयोग के कारण, जिन्हें हरियाणा के सिखों द्वारा अनिवार्य रूप से पवित्र पूजा स्थल माना जाता है, उनके उचित उपयोग, प्रशासन, नियंत्रण और वित्तीय स्थिति के लिए हरियाणा के सिखों के अनन्य नियंत्रण में प्रभावी और स्थायी रूप से लाया जा सके।

उक्त समुदाय के धार्मिक विचारों के अनुरूप बनाने के लिए प्रबंधन सुधार। यह बताया गया कि राज्य में सिख गुरुद्वारों को सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 2 और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रावधानों द्वारा शासित किया जा रहा है, लेकिन हरियाणा राज्य में सिखों की मांगों को देखते हुए, जिनकी दो समितियों द्वारा जांच की गई थी, भारत के संविधान की अनुसूची VII, सूची II, प्रविष्टि 32 के साथ अनुच्छेद 246 के तहत प्रदत्त शक्तियों के संदर्भ में और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 72 के अनुसरण में भी विधेयक पेश करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद हरियाणा अधिनियम लागू किया गया जो 14.7.2014 पर लागू हुआ।

' संक्षेप में, 'हरियाणा अधिनियम' 2 संक्षेप में, '1925 अधिनियम' 3 3 संक्षेप में, '1966 अधिनियम' [2022] 12 एस. सी. आर.

3. पहली रिट याचिका हरियाणा के एक निवासी और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक के एक निर्वाचित प्रतिनिधि ने दायर की है।

कुरुक्षेत्र से समिति। चुनौती का आधार यह है कि हरियाणा अधिनियम संवैधानिक प्रावधानों, 1966 अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है और सिख धर्म के अनुयायियों के बीच असहमति पैदा करने के अपने इरादे में भी विभाजनकारी है। बाद में संविधान के भाग III के तहत याचिकाकर्ता को प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर हरियाणा अधिनियम को चुनौती देने के लिए रिट याचिका में संशोधन किया गया था। दूसरी रिट याचिका को प्राथमिकता दी गई है।

एस. जी. पी. सी. द्वारा हरियाणा अधिनियम को लगभग इसी आधार पर चुनौती दी गई। 4. हरियाणा राज्य और हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति 3 ने एक जवाबी हलफनामा दायर किया जिसमें इस रुख का विरोध किया गया।

याचिकाकर्ता जबकि प्रतिवादी संख्या 3-एस. जी. पी. सी. ने पहली रिट याचिका में याचिकाकर्ता का समर्थन किया और वास्तव में, हरियाणा अधिनियम को चुनौती देने के लिए एक स्वतंत्र रिट याचिका दायर की। भारत संघ ने अपने जवाब में कहा कि हरियाणा अधिनियम द्वारा 1925 के अधिनियम के अधिकार क्षेत्र को छोड़कर, यह 1925 के अधिनियम के तहत गठित बोर्ड को समाप्त करने के बराबर है।

जिनके कार्य अनिवार्य रूप से सूची I की प्रविष्टि 44 के अंतर्गत आते हैं। इसलिए, यह तर्क कि हरियाणा राज्य को अनुसूची VII की सूची II की प्रविष्टि 32 के संदर्भ में विवादित हरियाणा अधिनियम को पारित करने का अधिकार क्षेत्र था, गलत प्रतीत होता है। यह संघ का रुख है कि केवल संसद

उक्त विषय पर कानून बनाने की अनन्य शक्ति है। हरियाणा राज्य विधानमंडल द्वारा 1925 के अधिनियम के तहत गठित बोर्ड के अधिकार क्षेत्र को छीनते हुए इसी विषय पर कानून पारित करने का कोई औचित्य नहीं है।

5. यह प्रस्तुत किया जाता है कि 1925 का अधिनियम निम्नलिखित प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया थाः

कुछ सिख गुरुद्वारों का बेहतर प्रशासन और मामलों की जांच और उनसे जुड़े विवादों के निपटारे के लिए। 1925 के अधिनियम को 28.7.1925 पर गवर्नर जनरल की सहमति मिली और यह था पंजाब राजपत्र में 7.8.1925 पर प्रकाशित हुआ और उसके बाद यह 1.11.1925 पर लागू हुआ। 1925 का अधिनियम उन क्षेत्रों तक फैला हुआ है जो पंजाब और पटियाला राज्य और पूर्वी पंजाब राज्य संघ (पी. ई. पी. एस. यू.) में शामिल थे। यह बताया गया है कि प्रत्येक अधिसूचित सिख गुरुद्वारे के प्रबंधन की आवश्यकता है

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड और आयोग द्वारा गठित समिति द्वारा प्रशासित। एसजीपीसी है

4 संक्षेप में, 'एसजीपीसी' 5 संक्षेप में, 'हरियाणा समिति' हरभजन सिंह बनाम।

हरियाणा राज्य और ओ. आर. एस. [हेमंत गुप्ता, जे।]

धारा 43 के तहत इस प्रकार गठित बोर्ड। बोर्ड में 170 निर्वाचित सदस्य होते हैं; दरबार साहिब, अमृतसर के प्रमुख; श्री अकाल तख्त साहिब, अमृतसर; श्री तख्त केशगढ़ साहिब, आनंदपुर; श्री तख्त पटना साहिब, पटना; श्री हज़ूर साहिब, नांदेड़; और श्री तख्त दमदमा साहिब, तलवंडी साबो, बठिंडा, पंजाब और 15 सदस्य जो भारत के निवासी हैं, जिनमें से 5 से अधिक पंजाब के निवासी नहीं होंगे, जिन्हें बोर्ड के अन्य सदस्यों द्वारा सह-चुना जाएगा। अधिनियम के अधिकार क्षेत्र को 120 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है क्योंकि 50 बहुवचन निर्वाचन क्षेत्र हैं, जिनमें से प्रत्येक 170 सदस्यों के चुनाव के लिए 2 सदस्यों को चुनता है। इसके अलावा, 1925 के अधिनियम में एक योजना की परिकल्पना की गई है - धारा 85 (1) में वर्णित गुरुद्वारों की संपत्ति, दान, निधि और आय का प्रशासन और प्रबंधन। धारा 85 में निर्दिष्ट गुरुद्वारे के अलावा ऐसे प्रत्येक अधिसूचित सिख गुरुद्वारे के लिए, धारा 87 के तहत प्रदान किए गए 5 सदस्यों से युक्त एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसे सिख गुरुद्वारा घोषित किया गया है। 1925 के अधिनियम के अंतर्गत आने वाले गुरुद्वारे वर्तमान पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में फैले हुए हैं और इनका प्रशासन एस. जी. पी. सी. द्वारा किया जा रहा है।

6. यह भी उल्लेख किया गया है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 19566 ने पी. ई. पी. एस. यू. राज्य को शामिल करके पंजाब के क्षेत्र में वृद्धि की।

हालाँकि, इसके बाद 1966 में जब 1966 का अधिनियम लागू किया गया तो मौजूदा पंजाब राज्य को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया। 1966 के अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान इस प्रकार हैं:

" 72 (1) इस भाग के पूर्वगामी प्रावधानों द्वारा अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए प्रावधानों को छोड़कर, जहां मौजूदा पंजाब राज्य या उसके किसी भाग के लिए केंद्रीय अधिनियम, राज्य अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम के तहत गठित कोई भी निगमित निकाय उत्तराधिकारी राज्यों की जरूरतों को पूरा करता है या भाग II के प्रावधानों के आधार पर एक निगमित निकाय बन जाता है।

अंतर-राज्य निगमित निकाय, तब निगमित निकाय, नियत दिन पर और उससे उन निकायों में कार्य करना और काम करना जारी रखेगा।

जिन क्षेत्रों में यह काम कर रहा था और काम कर रहा था

उस दिन से तुरंत पहले, केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले ऐसे निर्देशों के अधीन रहते हुए, जब तक कि उक्त निकाय के संबंध में कानून द्वारा अन्य प्रावधान नहीं किए जाते हैं। (2) केंद्र सरकार द्वारा उप-धारा (1) के तहत ऐसे किसी भी निगमित निकाय के संबंध में जारी किए गए किसी भी निर्देश में यह निर्देश शामिल हो सकता है कि कोई भी कानून जिसके द्वारा उक्त निकाय निगमित है

" संक्षेप में, '1956 अधिनियम' [2022] 12 एस. सी. आर.

उस निगमित निकाय को लागू करने में, ऐसे अपवादों और संशोधनों के अधीन रहते हुए प्रभाव पड़ेगा जो निर्देश में निर्दिष्ट किए जाएं।

(3) संदेह को दूर करने के लिए एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि इस धारा के प्रावधान पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम, 1947 के तहत गठित पंजाब विश्वविद्यालय, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1961 के तहत गठित पंजाब कृषि विश्वविद्यालय और सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 के भाग III के प्रावधानों के तहत गठित बोर्ड पर भी लागू होंगे।

XXX

XXX

XXX

88. यह नहीं माना जाएगा कि भाग 2 के प्रावधानों ने उन क्षेत्रों में कोई परिवर्तन किया है जिन पर नियत दिन से तुरंत पहले लागू कोई कानून लागू होता है या लागू होता है, और

पंजाब राज्य के लिए ऐसे किसी भी कानून में संदर्भ तब तक होंगे जब तक कि अन्यथा किसी सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान किए गए प्रावधान का अर्थ नियत दिन से तुरंत पहले उस राज्य के भीतर के क्षेत्र के रूप में किया जाएगा।

89. पंजाब या हरियाणा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश या चंडीगढ़ के संबंध में नियत दिन से पहले बनाए गए किसी कानून के आवेदन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से, उपयुक्त सरकार, उस दिन से दो साल की समाप्ति से पहले, आदेश द्वारा, कानून के ऐसे अनुकूलन और संशोधन कर सकती है, चाहे वे निरसन या संशोधन के रूप में हों, जो आवश्यक या समीचीन हो, और उसके बाद ऐसा प्रत्येक कानून सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवर्तित, निरस्त या संशोधित किए जाने तक इस तरह किए गए अनुकूलन और संशोधनों के अधीन प्रभावी होगा।

विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी।

स्पष्टीकरण-इस धारा में "उपयुक्त सरकार" पद का अर्थ है -

में उल्लिखित किसी मामले से संबंधित किसी कानून के संबंध में

(अ)

संघ सूची, केंद्र सरकार; और

(ख)

किसी अन्य कानून के संबंध में

किसी राज्य को अपने आवेदन में, राज्य सरकार,

(i)

और

एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए अपने आवेदन में, केंद्रीय

(ख)

सरकार।

90. (1) इसके बावजूद कि नियत दिन से पहले बनाई गई कानून के अनुकूलन के लिए धारा 89 के तहत कोई प्रावधान या अपर्याप्त प्रावधान नहीं किया गया है, कोई भी अदालत, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण, जो ऐसी कानून को लागू करने के लिए आवश्यक या सशक्त है, निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए कर सकता हैः

पंजाब या हरियाणा राज्य, या केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश या चंडीगढ़ के संबंध में इसके आवेदन को सुविधाजनक बनाने के लिए कानून का अर्थ इस तरह से किया जाता है, बिना किसी सार को प्रभावित किए, जो अदालत, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष मामले के संबंध में आवश्यक या उचित हो।

(2) किसी भी कानून में पंजाब के उच्च न्यायालय के लिए कोई भी संदर्भ, जब तक कि संदर्भ की अन्यथा आवश्यकता न हो, नियत दिन को और उससे पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा।

संशोधन के साथ या उसके बिना योजना और 1957 के अधिनियम की धारा 4 के तहत इस तरह से अनुमोदित योजना को प्रभावी बनाना। केंद्र सरकार के पास किसी राज्य के लिए गठित किसी भी निगमित निकाय को शामिल करने की शक्ति थी। अनुसूची के दो या अधिक राज्यों में कार्य करना। 1925 के अधिनियम को 1957 के अधिनियम में अनुसूची में दिनांक 1 की अधिसूचना के माध्यम से शामिल किया गया था। इस प्रकार, यह संघ का रुख है कि केवल केंद्र सरकार ही एक अंतर-राज्य निकाय निगम यानी एस. जी. पी. सी. के कामकाज और संचालन के संबंध में निर्देश दे सकती है।

" 109. सांविधिक निगमों के बारे में सामान्य प्रावधान-(1) इस भाग के पूर्वगामी प्रावधानों द्वारा अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए प्रावधानों को छोड़कर, जहां किसी भी निकाय का गठन एक किसी विद्यमान राज्य या किसी नए राज्य के लिए केंद्रीय अधिनियम, राज्य अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम, तब, इस तरह के हस्तांतरण के बावजूद, निगमित निकाय, नियत दिन से, उन क्षेत्रों में कार्य करना और कार्य करना जारी रखेगा जिनके संबंध में वह कार्य कर रहा था और कार्य कर रहा था।

1 संक्षेप में, '1957 अधिनियम' [2022] 12 एस. सी. आर.

उस दिन से तुरंत पहले, केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले ऐसे निर्देश के अधीन रहते हुए, जब तक कि उक्त निकाय के संबंध में कानून द्वारा अन्य प्रावधान नहीं किए जाते हैं।

(2) केंद्र सरकार द्वारा उप-धारा (1) के तहत ऐसे किसी भी निगमित निकाय के संबंध में जारी किए गए किसी भी निर्देश में यह निर्देश शामिल होगा कि कोई भी कानून जिसके द्वारा उक्त निकाय निगमित है

उस निकाय में अपने आवेदन में निगमित ऐसे अपवादों और संशोधनों के अधीन प्रभाव होगा जो निर्देश में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

" 2. परिभाषा-इस अधिनियम में "अंतर-राज्य निगम" का अर्थ है - अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी अधिनियम के तहत गठित निगमित निकाय और राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 109 के आधार पर दो या दो से अधिक राज्यों में कार्य कर रहा है।

राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित अधिनियम]।

3. योजनाएँ बनाने की राज्य सरकारों की शक्ति। - अगर यह दिखाई देता है

किसी राज्य की सरकार को, जिसके किसी भाग में कोई अंतर-राज्य निगम कार्य कर रहा हो कि अंतर-राज्य निगम का पुनर्गठन किया जाए और उसे एक या अधिक अंतर-राज्य निगमों के रूप में पुनर्गठित किया जाए या इसे भंग किया जाए, राज्य सरकार ऐसे पुनर्गठन और पुनर्गठन या ऐसे विघटन के लिए एक योजना बना सकती है, जिसमें अंतर-राज्य निगम की परिसंपत्तियों, अधिकारों और देनदारियों को किसी अन्य निगम या राज्य सरकारों को हस्तांतरित करने और अंतर-राज्य निगम के कर्मचारियों के हस्तांतरण या पुनर्नियुक्ति से संबंधित प्रस्ताव शामिल हैं।

अंतर-राज्य निगम और योजना को केंद्र सरकार को भेजें।

4. कुछ अंतर-राज्य निगमों का पुनर्गठन। - (1) धारा 3 के तहत उसे भेजी गई योजना की प्राप्ति पर, केंद्रीय

सरकार, राज्य सरकारों से परामर्श करने के बाद

संबंधित, संशोधनों के साथ या बिना योजना को मंजूरी दें और इस तरह से अनुमोदित योजना को ऐसा आदेश देकर प्रभावी करें जो वह उचित समझे।

(2) उप-धारा (1) के तहत किया गया आदेश निम्नलिखित सभी मामलों के लिए प्रावधान कर सकता है, अर्थात्:

XX

XX

XX हरभजन सिंह v. हरियाणा राज्य और ओ. आर. एस. [हेमंत गुप्ता, जे।]

संविधान सहित अंतर-राज्य निगम का, जहाँ नए निगम की आवश्यकता;

((ग) वह क्षेत्र जिसके संबंध में पुनर्गठित निगम या

नया निगम कार्य करेगा और काम करेगा।

((घ) परिसंपत्तियों, अधिकारों और देनदारियों का पूर्ण या आंशिक हस्तांतरण।

अंतर-राज्य निगम (अधिकारों और देनदारियों सहित)

इसके द्वारा किए गए किसी अनुबंध के तहत) किसी अन्य निगम या राज्य को सरकारें और ऐसे हस्तांतरण के नियम और शर्तें;

XX

XX

XX

5. अनुसूची में जोड़ने की केंद्र सरकार की शक्ति। - द.

केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अनुसूची में कोई ऐसा अधिनियम निर्दिष्ट करें जिसके तहत कोई निगमित निकाय हो।

एक राज्य के लिए गठित दो या दो से अधिक राज्यों में कार्य कर रहा है

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 109 के आधार पर, या

राज्यों के पुनर्गठन के लिए कोई अन्य अधिनियम, और ऐसी अधिसूचना जारी करने पर, अनुसूची को ऐसा माना जाएगा -

उक्त अधिनियम को उसमें शामिल करके संशोधित किया गया।

10. हिमाचल प्रदेश राज्य, प्रत्यर्थी संख्या 6, ने एक

यह स्थिति है कि 1925 का अधिनियम केवल उन क्षेत्रों के लिए लागू होता है जो 1966 के अधिनियम के तहत हिमाचल प्रदेश में शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश के उक्त क्षेत्रों के एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र में 23987 मतदाता हैं। इसलिए, मौजूदा कानून यानी 1925 के अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत एस. जी. पी. सी. के लिए चुनाव कराने या गुरुद्वारों के प्रबंधन के बारे में कोई मुद्दा नहीं था। इस प्रकार, हिमाचल प्रदेश राज्य याचिका का विरोध नहीं कर रहा है।

11. पंजाब राज्य की ओर से दाखिल किए गए जवाब में दिनांकित

24.8.2014 , यह स्पष्ट किया गया है कि एस. जी. पी. सी. के संबंध में एक अंतर-राज्य निकाय निगमित के रूप में कानून बनाने की शक्ति केवल केंद्र सरकार के लिए आरक्षित है। प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैः

" एस. जी. पी. सी. के संबंध में कानून बनाने की शक्ति

राज्य निकाय निगमित केंद्र के लिए आरक्षित है केवल सरकार और कानून में विभाजन का कोई प्रावधान नहीं है

उक्त अंतर-राज्य निकाय का निगमित या उसके द्वारा प्रतिस्थापन

एक राज्य कानून बनाना।

XX

XX

इस प्रकार उपरोक्त प्रस्तुतियों के आलोक में, यह स्पष्ट है कि एस. जी. पी. सी. एक अंतर-राज्य निकाय निगमित के रूप में दृढ़ता से निहित है और केवल संसद को भारत के संविधान की अनुसूची 7 की सूची-I की प्रविष्टि 44 के अनुसार अंतर-राज्य निगमों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम, 2014 का अनुसूची 7 की सूची-II की प्रविष्टि 32 के तहत विधायी क्षमता के कथित प्रयोग में अधिनियमन पूरी तरह से असंवैधानिक है और ऊपर उल्लिखित वैधानिक प्रावधानों को देखते हुए विशेष रूप से संसदीय कानून के लिए आरक्षित क्षेत्र में अतिक्रमण करता है।

12. पंजाब की पूर्ण पीठ के फैसले का संदर्भ दिया गया है।

और सहजधारी सिख फेडरेशन बनाम में हरियाणा उच्च न्यायालय। काउंटर एफिडेविट में भारत संघ और Ors.³। हालाँकि यह बताया गया कि उपरोक्त निर्णय इस न्यायालय के समक्ष एक अपील में चुनौती का विषय था।

इसलिए, अनुच्छेद 254 के संदर्भ में राष्ट्रपति की सहमति के अभाव में, हरियाणा अधिनियम सीधे तौर पर मौजूदा कानून के विपरीत है। 14. हालाँकि, पहली रिट याचिका के संशोधन के बाद, पंजाब राज्य द्वारा 22.11.2019 पर एक अतिरिक्त हलफनामा दायर किया गया था। यह.

यह कहा गया था कि प्रारंभिक चरण में हलफनामे दायर किए जाने के बाद, बाद के घटनाक्रम हुए जब संसद ने सिख गुरुद्वारा (संशोधन) अधिनियम, 2016 को लागू किया, जिसमें 1925 के अधिनियम की धारा 49 और 92 में पूर्वव्यापी प्रभाव से संशोधन किया गया। यह इंगित किया गया है कि संसद द्वारा किए गए उक्त संशोधन को चुनौती देना 2017 की रिट याचिका संख्या 11978 में चुनौती का विषय है जो उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। यह माना गया कि केंद्र सरकार द्वारा 1966 के अधिनियम की धारा 72 (1) के संदर्भ में संशोधन निगमित निकाय के कामकाज और संचालन के संबंध में है।

अर्थात, एस. जी. पी. सी.। हालांकि, इस तरह की शक्ति को संशोधन के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है समय-समय पर क़ानून या अधिसूचनाएँ जारी करना। अतिरिक्त शपथपत्र से प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैः

" 10. केंद्र सरकार ने पंजाब पुनर्गठन की धारा 72 (1) के तहत संशोधन की अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसा किया है। अधिनियम, 1966। जबकि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 72 (1) वास्तव में केंद्र सरकार को संशोधन करने का अधिकार देती है,

हरियाणा राज्य और ओ. आर. एस. [हेमंत गुप्ता, जे।]

ऐसी शक्ति ऐसे निगमित निकाय अर्थात प्रत्यर्थी संख्या 3 के "कार्यकरण और संचालन" के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों तक सीमित है। यह कि ऐसी शक्ति एस. जी. पी. सी. के कामकाज और संचालन तक सीमित है, कानून में संशोधन करने तक विस्तारित नहीं हो सकती है या कि समय-समय पर ऐसी अधिसूचनाएं जारी करने से सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 (राज्य के विधान से) के विधायी चरित्र को संसदीय विधान में नहीं बदला जा सकता है, यह निर्णय माननीय द्वारा लिया गया था।

सहजदारी सिख फेडरेशन बनाम भारत संघ (सी. डब्ल्यू. पी. 17771) के मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ

2003 20 दिसंबर 2011 को निर्णय लिया गया) (2012 (1) आईएलआर (पी एंड एच) 347)।

जैसा कि पहले कहा गया है कि उपरोक्त निर्णय की सिविल अपील 9334/2013 की अपील को संसद द्वारा सिख गुरुद्वारा (संशोधन) अधिनियम, 2016 को लागू करने के मद्देनजर निष्फल के रूप में निपटाया गया, जो अब पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती का विषय है।

11. वर्तमान प्रत्यर्थी दोहराता है कि किसी राज्य के भीतर गुरुद्वारों के प्रशासन से संबंधित राज्य विधान (जैसे कि पंजाब राज्य में गुरुद्वारों से संबंधित सिख गुरुद्वार अधिनियम, 1925) पूरी तरह से राज्य के अधिकार क्षेत्र में है, ऐसे राज्य विधान को लागू करने या संशोधित करने की शक्ति संसद द्वारा हड़पी नहीं जा सकती है और याचिकाकर्ता और /

या प्रत्यर्थी सं। 3 इस संबंध में गलत धारणा के रूप में इनकार किया जाता है।

XX

XX

XX

13. केंद्र सरकार की निर्देश जारी करने की शक्ति (उपरोक्त सीमित उद्देश्य के लिए) और संसद की कानून बनाने की क्षमता के बीच अंतर है। एक के अस्तित्व का मतलब दूसरे का अस्तित्व नहीं है। याचिकाकर्ता और/या प्रत्यर्थी यह तर्क नहीं दे सकते कि केवल इसलिए कि

14. इसके अलावा, धारा 72 की भाषा को केवल पढ़ने से, केंद्र सरकार की निर्देश जारी करने की ऐसी सीमित शक्ति भी तब समाप्त हो जाएगी जब उचित कानून बनाया जाएगा। इस संबंध में सक्षम विधानमंडल द्वारा पारित किया गया।

XX

XX

19. यह दोहराया जाता है कि राज्य के पास आवश्यक अधिनियम बनाने की शक्ति है

धार्मिक और अन्य समाजों के संबंध में कानून और

एसोसिएशन "-(सूची 2-प्रविष्टि 32) और याचिकाकर्ता और/या प्रतिवादी सं। 3'पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की धारा 72 के प्रावधानों पर गलत निर्भरता और ऐसी मूर्तियों को कानून बनाने/संशोधित करने के लिए संसद की कोई कथित सर्वव्यापी शक्ति, विशेष रूप से सिख गुरुद्वारा (संशोधन) अधिनियम के आलोक में।

2016 , गलत जगह पर है।

20. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह अत्यंत सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि यह माननीय न्यायालय कृपया राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता को बनाए रखने के लिए उचित आदेश पारित कर सकता है।

अपने-अपने राज्यों में गुरुद्वारों के संबंध में कानून।

15. याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील श्री राकेश द्विवेदी ने कहा कि हरियाणा अधिनियम व्यावहारिक रूप से 1925 के अधिनियम के समान है। कुछ प्रासंगिक परिवर्तनों को छोड़कर। रिट याचिकाकर्ता का रुख

हर्भजन सिंह का कहना है कि 1966 के अधिनियम की धारा 72 (1) में प्रावधान है कि जहां केंद्र, राज्य या प्रांत के किसी अधिनियम द्वारा मौजूदा पंजाब राज्य या उसके किसी हिस्से के लिए गठित कोई भी निगमित निकाय एक निकाय बन जाता है।

यह प्रावधान है कि ये धारा 67 और केंद्र सरकार के निर्देशों के अधीन रहते हुए जारी रहेंगे, लेकिन धारा 67 (4) किसी भी उत्तराधिकारी राज्य की सरकार को अपने स्वयं के राज्य विद्युत बोर्ड और राज्य भंडार निगम का गठन करने में सक्षम बनाती है। धारा 69 पंजाब राज्य वित्तीय निगम के लिए भी इसी तरह के प्रावधान करती है और पंजाब और हरियाणा राज्यों को केंद्र सरकार की मंजूरी से अपना राज्य वित्तीय निगम बनाने का अधिकार देती है। धारा 70 1966 के अधिनियम की पंद्रहवीं अनुसूची में निर्दिष्ट सहकारी समितियों के लिए एक अलग प्रक्रिया प्रदान करता है जो बहु-इकाई सहकारी समिति अधिनियम, 1942 में धारा 5 डी को शामिल करके एक बहु-इकाई सहकारी समिति बन जाती है। इसके अलावा, धारा 73 सात अन्य निगमों से संबंधित है जो हरभजन सिंह बनाम।

हरियाणा राज्य और ओ. आर. एस. [हेमंत गुप्ता, जे।]

"किसी भी कानून में" या "उत्तराधिकारी राज्यों के बीच किसी समझौते में" या "केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी भी दिशा में" के लिए अन्यथा प्रावधान किए जाने तक जारी रहना है। 1966 के अधिनियम की धारा 89 अनुकूलन की अनुमति देती है।

हरियाणा विधान सभा को विवादित कानून बनाने की शक्ति। इस प्रकार कानून शून्य है, जो विधायी क्षमता से बाहर है हरियाणा विधान सभा। यह भी माना जाता है कि विवादित कानून भारत के संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है क्योंकि इसका उद्देश्य 1925 के अधिनियम के तहत बोर्ड के नियंत्रण से निर्दिष्ट गुरुद्वारों और उनकी संपत्तियों का प्रबंधन लेना है।

17. यह तर्क दिया जाता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 2,3 और 4 के तहत अधिनियमित एक विशेष प्रकार का विधान है। इस तरह का कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। हरियाणा राज्य 1957 के अधिनियम के अनुसार ही कार्य कर सकता है यदि वह 1925 के अधिनियम के तहत गठित बोर्ड का पुनर्गठन, पुनर्गठन या विघटन चाहता है। ऐसा करने के लिए अधिनियम के तहत निर्धारित एकमात्र तरीका यह है कि बोर्ड की संपत्तियों को अपने किसी अन्य निगम को हस्तांतरित करने के प्रस्तावों सहित एक योजना तैयार की जाए और उसके बाद उसे केंद्र सरकार को भेजा जाए। केंद्र सरकार को तब 1957 के अधिनियम की धारा 4 के तहत इस योजना को ऐसे संशोधनों के साथ मंजूरी देने के लिए एक आदेश पारित करने की आवश्यकता होती है जो उसे उचित लगे।

अन्य राज्य सरकारें। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि जहां किसी विशेष तरीके से किसी विशेष काम को करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया निर्धारित की गई है, उसे उसी तरीके से किया जाना चाहिए और अन्यथा नहीं। नजीर अहमद बनाम में प्रिवी काउंसिल के फैसले का संदर्भ दिया गया है। राजा-सम्राट। उक्त सिद्धांत केरल और अन्य राज्यों में फिर से प्रतिध्वनित होता है। वी. केरल रेयर अर्थ एंड मिनरल्स लिमिटेड & Ors.[10] 10. श्री राकेश द्विवेदी द्वारा कई अन्य निर्णयों का उल्लेख किया गया है, लेकिन उन्हें उद्धृत करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह सिद्धांत कई दशकों से अच्छी तरह से स्थापित और स्थापित है। 9 9 आकाशवाणी 1936 पी. सी. 253 (2)

10 (2016) 6 एससीसी 323 [2022] 12 एस. सी. आर.

18. यह प्रस्तुत किया जाता है कि हरियाणा अधिनियम के अधिनियमन का स्रोत 1966 के अधिनियम की धारा 72 है जिसे सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 32, सूची II के साथ पढ़ा जाता है। यह कहा गया है कि धारा 72 निगमित निकायों से संबंधित है

वर्तमान पंजाब राज्य के लिए केंद्रीय अधिनियम, राज्य अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम के तहत गठित। ऐसा निगमित निकाय जो एक बन गया है अंतर-राज्य निकाय निगम को उन क्षेत्रों में काम करना और काम करना जारी रखना अनिवार्य है जिनके संबंध में वह काम कर रहा था और काम कर रहा था।

उस दिन से ठीक पहले। केंद्र सरकार को धारा 72 (1) के तहत समय-समय पर निर्देश जारी करने का अधिकार है जब तक कि कानून द्वारा अन्य प्रावधान नहीं किए जाते। इस प्रकार हरियाणा राज्य एक निगमित निकाय के संबंध में कानून बनाने के लिए सक्षम नहीं है जो एक अंतर-राज्य निकाय निगमित बन गया है। यह तर्क दिया जाता है कि 1957 का अधिनियम संसद द्वारा बनाया गया एक विशेष कानून है और न केवल 1966 के अधिनियम की धारा 72 को 1957 के अधिनियम के प्रावधानों के साथ पढ़ा जाना चाहिए, बल्कि पूरे 1966 के अधिनियम को 1957 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप समझना होगा। जनरलिया स्पेशलाइबस गैर अपमानजनक का सिद्धांत,

(सामान्य चीजें विशेष चीजों से अलग नहीं होती हैं) किसी भी विसंगति या अस्पष्टता की स्थिति में लागू होगी। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि अंतर-राज्य निगमों या बहु-राज्य निगमों को सूची I की प्रविष्टि 44 द्वारा कवर किया जाएगा। राजेंद्र एन. शाह और अन्न "। .

19. यह माना जाता है कि हरियाणा अधिनियम एक समाज का निर्माण नहीं कर रहा है या

राज्य स्तर पर एक निगम लेकिन यह 1925 के अधिनियम की अधिकारिता को कम करना चाहता है, इसलिए, यह प्रविष्टि 32 सूची II के संदर्भ में एक अधिनियम नहीं है। यह भी तर्क दिया जाता है कि वास्तव में, हरियाणा अधिनियम धार्मिक पूजा स्थल के प्रबंधन की एकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और गुरुद्वारों के प्रबंधन को एस. जी. पी. सी. के नियंत्रण से छीन लेता है, इस प्रकार, अनुच्छेद 26 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। इसलिए, तर्क यह है कि हरियाणा अधिनियम अनुच्छेदों के जनादेश का उल्लंघन करता है

25 और संविधान के 26.

20. एस. जी. पी. सी. ने हरियाणा अधिनियम को इस आधार पर चुनौती दी कि हरियाणा राज्य के विधानमंडल ने एस. जी. पी. सी. से हरियाणा राज्य में स्थित गुरुद्वारों और इसकी संपत्तियों के प्रशासन का अधिकार छीन लिया है और इसे हरियाणा को सौंप दिया है।

समिति। एस. जी. पी. सी. का यह रुख है कि वह हरियाणा राज्य में विभिन्न धर्मार्थ गतिविधियों यानी स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और अन्य धार्मिक संस्थानों को चला रही है और हरियाणा में स्थित गुरुद्वारों का प्रबंधन भी कर रही है। 11 1 1 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 474 हरभजन सिंह बनाम।

हरियाणा राज्य और ओ. आर. एस. [हेमंत गुप्ता, जे।]हरियाणा का राज्य। इस प्रकार एस. जी. पी. सी. को अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार है।

धार्मिक और धर्मार्थ संस्थाओं की स्थापना और रखरखाव

ओसिस। इसे निम्नानुसार वर्णित किया गया थाः

" 5. 1925 के अधिनियम के तहत, एस. जी. पी. सी. एक कानूनी संस्थान बन गया

सिख गुरुद्वारों के प्रबंधन के लिए सिख। यह बन गया

सिखों का सर्वोच्च निकाय जो सीधे द्वारा चुना गया था

सिख अपने लिए अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करें। वह आया।

सरकार के भीतर एक सरकार के रूप में उचित और सही होना

या सिखों की एक छोटी संसद। यह काम करने की उपलब्धि है और

पिछले लगभग सौ वर्षों के योगदान से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि

एस. जी. पी. सी. ने सिखों के मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

और सिख समुदाय को अपने प्रयासों के लिए बहुत सम्मान है और धार्मिक और सामाजिक मुद्दों को उठाने के लिए किया गया योगदान

न केवल भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में समुदाय के बारे में,

यहां तक कि डीहॉर्सिट का वैधानिक अधिनियम, यानी 1925 का अधिनियम।

प्रबंधन सहित धार्मिक मामलों के प्रबंधन के लिए अधिनियम बनाया गया राज्य के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में सिख गुरुद्वारों का

हरियाणा। इसमें बोर्ड के पास निहित संपत्ति के विभाजन का प्रावधान है।

1925 के अधिनियम के तहत एस. जी. पी. सी. और इस प्रकार, संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है।

भारत का संविधान।

7. यह प्रस्तुत किया जाता है कि संविधान का अनुच्छेद 26 (डी) उपयोग करता है -

'कानून' शब्द में एक अधिनियम शामिल होता है और यह एक वैध शब्द होना चाहिए। कानून। इस माननीय न्यायालय ने अनुच्छेद के संदर्भ में निर्णय दिया है

26 कि संबंधित संपत्ति के प्रशासन के मामलों में धार्मिक संप्रदाय या उसका खंड, धर्मनिरपेक्ष अधिकारी

द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार उसी को विनियमित कर सकते हैं

सक्षम विधायिका। हालांकि, अनुच्छेद 26 का केवल खंड (डी) कानून के अनुसार अभिव्यक्ति का उपयोग करता है, हालांकि, वही

अभिव्यक्ति को अनुच्छेद 26 के सभी खंडों में पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि, यह मामला नहीं हो सकता है कि राज्य मौलिक में हस्तक्षेप कर सकता है

अधिनियमित किए बिना धार्मिक मामलों आदि के प्रबंधन की स्वतंत्रता का अधिकार

एक वैध कानून, इस प्रकार, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन

अनुच्छेद 26 के तहत, जो एस. जी. पी. सी. और उसके निर्वाचित सदस्यों के लिए उपलब्ध है।

XX

XX

9. यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि इस माननीय न्यायालय ने संदर्भ में अभिनिर्धारित किया है

संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों का कि कानून वैध होना चाहिए

कानून। संविधान का अनुच्छेद 25 (2) राज्य को ऐसा करने की अनुमति देता है

किसी भी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक को विनियमित या प्रतिबंधित करने वाला कोई कानून या अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधियाँ, जो धार्मिक गतिविधियों से जुड़ी हो सकती हैं।

अभ्यास, और इसी तरह का तर्क जैसा कि इसके संबंध में ऊपर कहा गया है विधायिका की क्षमता की कसौटी पर कानून की वैधता

अनुच्छेद के प्रावधानों के संबंध में सभी चार पर लागू होगा

25 (2) साथ ही। इसके अलावा, यह तर्क यहां तक कि लागू होगा अनुच्छेद 13 के प्रावधान भी।

21. यह तर्क दिया जाता है कि हरियाणा राज्य प्रविष्टि 32 पर निर्भर करता है,

सातवीं अनुसूची की सूची II, जबकि 1925 के अधिनियम के तहत एस. जी. पी. सी. एक अंतर-राज्य निकाय निगम है जो सूची I की प्रविष्टि 44 द्वारा कवर किया गया है।

सूची II

सूची I

32. निगमन, विनियमन और

44. निगमन, विनियमन और

निगम का समापन, इसके अलावा

निगमों का समापन,

जो सूची I में निर्दिष्ट हैं, और

के साथ व्यापार करें या न करें

विश्वविद्यालय; अनिगमित व्यापार,

ऐसी वस्तुएँ जो किसी एक राज्य तक सीमित न हों,

साहित्यिक, वैज्ञानिक, धार्मिक और अन्य

लेकिन इसमें विश्वविद्यालय शामिल नहीं हैं।

समितियाँ और संघ; सह सक्रिय समितियाँ।

22. चूँकि एस. जी. पी. सी. का उद्देश्य किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है, इसलिए हरियाणा राज्य विधानमंडल कानून बनाने में सक्षम नहीं है। के संबंध में

प्रविष्टि 32, यह कहा गया है कि यह केवल उन निगमों को संदर्भित करता है जो किसी विशेष राज्य के क्षेत्रों के भीतर स्थित हैं, जबकि सूची I की प्रविष्टि 44 के तहत आने वाले अंतर-राज्य निगमों को सूची से बाहर रखा गया है।

सूची II की प्रविष्टि 32 का संचालन। 1957 का अधिनियम अंतर-राज्य निगमों को विनियमित करने वाला एक विशेष कानून है और इसे सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 44 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 के तहत अधिनियमित किया गया है, इसलिए हरियाणा का विधानमंडल 1957 के अधिनियम का उल्लंघन करते हुए हरियाणा अधिनियम को अधिनियमित नहीं कर सकता था। इस न्यायालय के एक फैसले का संदर्भ माँ वैष्णो देवी महिला के रूप में दिया गया था।

महाविद्यालय बनाम. उत्तर प्रदेश राज्य & Ors.[1]2 इस प्रकार यह तर्क दिया जाता है कि कि 1966 की धारा 72 (3) के साथ पठित धारा 72 (1) के प्रावधान

12 (2013) 2 एस. सी. सी. 617 हरभजन सिंह बनाम।

हरियाणा राज्य और ओ. आर. एस. [हेमंत गुप्ता, जे।]

अधिनियम विशेष रूप से एस. जी. पी. सी. जैसे अंतर-राज्य निगमित निकाय से संबंधित है और हरियाणा राज्य के विधानमंडल ने एक अक्षम अधिनियम बनाया है। 1966 अधिनियम की धारा 88 को ध्यान में रखते हुए, 1925 अधिनियम जो लागू था

नियत दिन से पहले पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और यू. टी. चंडीगढ़ राज्यों में काम करना और काम करना जारी रखा।

23. हरियाणा राज्य की ओर से या हरियाणा समिति की ओर से तर्क यह है कि इस न्यायालय ने अपने दिनांकित आदेश के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान रिट याचिका की स्थिरता को अभिनिर्धारित करते हुए कहा कि दो पहलुओं की जांच करने की आवश्यकता है; पहला, क्या याचिकाकर्ता के किसी मौलिक अधिकार पर हमला किया गया है या उसका उल्लंघन किया गया है और दूसरा, जब तक और जब तक याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं पाया जाता है, तब तक इस न्यायालय को विवादित अधिनियम के अधिकारों के प्रश्न में जाने की आवश्यकता नहीं है।

24. रिलायंस को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ के फैसले पर रखा गया है, जिसे दयानंद एंग्लो-वैदिक कॉलेज के रूप में रिपोर्ट किया गया है।

प्रबंध समिति v. पंजाब राज्य ने यह तर्क दिया कि पंजाब विश्वविद्यालय, जो 1966 के अधिनियम की धारा 72 के आधार पर एक अंतर-राज्य निकाय निगम है, को केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अधीन अपने कार्यों और संचालन को जारी रखना था। निर्देश एक सीमित अवधि के लिए जारी किए जा सकते हैं, जब तक कि पंजाब विश्वविद्यालय के संबंध में कानून द्वारा अन्य प्रावधान नहीं किए जाते। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला बनाम पर भी भरोसा रखा गया है। पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ और

Ors.[1]4 14 जिसमें इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि संस्थान और संपत्तियाँ जो पंजाब विश्वविद्यालय के हिमाचल प्रदेश में स्थित होने के कारण, एक अंतर-राज्य निगम होने के नाते, शिमला में इसके कामकाज और संचालन के संबंध में उत्तराधिकारी राज्य विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। इस प्रकार, यह तर्क दिया जाना चाहिए कि अपरिवर्तनीय निष्कर्ष यह है कि 1956 का अधिनियम केवल एक संक्रमणकालीन प्रावधान था। इसे निम्नानुसार प्रस्तुत किया जाता है:

" 1. विवादित अधिनियम सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 के समान है। अध्याय-II के अनुसार-अभियुक्तों की 'समिति'

अधिनियम, हरियाणा सिख गुरुद्वारा के नाम से एक समिति में स्थित सिख गुरुद्वारों के उचित प्रबंधन और नियंत्रण के लिए समिति (प्रतिवादी संख्या 5) की स्थापना की गई है।

हरियाणा राज्य का अधिकार क्षेत्र। धारा 4 के अनुसार

13 1971 एससीसी ऑनलाइन पी एंड एच 257 14 (1996) 11 एससीसी 411 [2022] 12 एस. सी. आर.

' समिति की संरचना में 40 सदस्य होते हैं जो हरियाणा राज्य के विभिन्न वार्डों से चुने जाते हैं। यह योजना विवादित अधिनियम को एक लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान करती है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक मामलों के प्रबंधन में उचित अधिकार दिया जाता है।

2. पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 पारित किया गया था

भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद को पंजाब के मौजूदा राज्य के पुनर्गठन और उससे जुड़े मामलों के लिए सुविधा प्रदान करना। 1966 के अधिनियम की धारा 72 को ऐसे निकायों के लिए सामान्य प्रावधान बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था

जिसका अधिनियम के अन्य भागों में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। 3. धारा 72 (1) इन शब्दों से शुरू होती है "इस भाग के पूर्वगामी प्रावधानों द्वारा अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए प्रावधान को छोड़ दें"। इसमें आगे विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि केंद्र सरकार के पास निगम को निर्देश जारी करने की शक्ति है "जब तक कि उक्त निकाय के संबंध में कानून द्वारा अन्य प्रावधान नहीं किए जाते हैं।" धारा 72 (3) में विशेष रूप से प्रावधान किया गया है कि इस धारा का प्रावधान निम्नलिखित प्रावधानों के तहत गठित बोर्ड पर लागू होगाः

सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 का भाग III।

4. अंतर-राज्य निगम अधिनियम, 1957 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 109 के अनुसार अधिनियमित किया गया था। पुनर्गठन/विघटन/के उद्देश्य के लिए प्रावधान

दो या दो से अधिक राज्यों में कार्यरत कुछ निगमों का पुनर्गठन। 1957 के अधिनियम के उद्देश्य का विवरण है "यह था

केवल एक संक्रमण प्रावधान होने का इरादा है "।

25. कश्मीर सिंह बनाम में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का भी संदर्भ दिया गया है। भारत संघ

& ओआरएस। 1 5 15 जिसकी पुष्टि इस न्यायालय द्वारा एक निर्णय में की गई थी

कश्मीर सिंह बनाम। भारत संघ का यह तर्क देना कि राज्य विधानमंडल 1925 के अधिनियम के संबंध में एक कानून बनाने के लिए सक्षम है जब

पंजाब राज्य ने 1925 के अधिनियम के तहत गठित न्यायिक आयोग के लिए सदस्यों को नामित किया।

26. 1925 का अधिनियम एक राज्य अधिनियम है। यह पंजाब द्वारा अधिनियमित किया गया था

प्रांतीय परिषद। पंजाब राज्य ने 1925 के इस अधिनियम में संशोधन किया है। 15 2002 एस. सी. सी. ऑनलाइन पी एंड एच 766: आईएलआर (2003) 1 पी एंड एच 345। संक्षेप में, कश्मीर सिंह-I 16 (2008) 7 SCC 259। संक्षेप में, कश्मीर सिंह-द्वितीय हरभजन सिंह बनाम।

हरियाणा राज्य और ओ. आर. एस. [हेमंत गुप्ता, जे।]

विश्वविद्यालयों, अनिगमित व्यापार, साहित्यिक, वैज्ञानिक "धार्मिक और अन्य समाजों" और संघों के संबंध में कानून। यह व्यक्त करने की शक्ति संसद को प्रविष्टि 44, सूची I के तहत प्रदान नहीं की गई है। यह भी तर्क दिया गया है कि हरियाणा अधिनियम सूची III की प्रविष्टि 28 यानी दान और धर्मार्थ संस्थानों, धर्मार्थ और धार्मिक दान और धार्मिक संस्थानों के अंतर्गत नहीं आता है। यह तर्क दिया जाता है कि बंदोबस्ती मूल रूप से ऐसी संपत्तियां हैं, चाहे वे चल हों या अचल, जिन्हें एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए उपयोग करने के लिए नामित किया गया है जो सातवीं अनुसूची की सूची III की प्रविष्टि 28 के भीतर आती है, लेकिन निगम कानूनी संस्थाएं हैं जो मुकदमा कर सकती हैं और जिन पर मुकदमा चलाया जा सकता है जो सूची II की प्रविष्टि 32 के अंतर्गत आती हैं। 27. पंजाब राज्य ने अपनी लिखित दलीलों में कहा है कि यह एक निर्विवाद तथ्य है कि 1925 का अधिनियम राज्य विधानमंडल का एक अधिनियम है। इसे कुछ सिख गुरुद्वारों के प्रशासन के लिए लागू किया गया था।

पंजाब राज्य जो उस समय मौजूद था और उसके बाद पंजाब विधानमंडल द्वारा इसमें विभिन्न संशोधन किए गए हैं। यह केवल 1966 के अधिनियम की धारा 72 के कारण है कि 1925 के अधिनियम के तहत बोर्ड एक अंतर-राज्य निगम बन गया, जो सक्षम विधायिका द्वारा कानून बनाए जाने तक केवल एक अस्थायी उपाय था। इसका दावा इस प्रकार किया गया थाः

" 3. भारत के संविधान के अधिनियमन की तारीख से, पंजाब राज्य ने 1925 के अधिनियम को अपनाया और तब से पंजाब विधानसभा 1925 के अधिनियम में संशोधन कर रही है।

एक्ट करें। यह 1966 के अधिनियम के पारित होने के बाद ही था, केंद्र सरकार को 1966 के अधिनियम की धारा 72 के आधार पर जारी करने का निर्देश दिया गया था। बनाने की शक्ति

उस समय तक संशोधन को अस्थायी रूप से संसद में स्थानांतरित कर दिया गया था

उत्तराधिकारी राज्य अपने स्वयं के कानून लेकर आए।

4. यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सत्ता का स्थानांतरण केवल संक्रमणकालीन प्रकृति का था और केंद्र सरकार को केवल निर्देश जारी करने की शक्ति दी गई थी। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ

सहजदारी सिख फेडरेशन बनाम के मामले में सी. डब्ल्यू. पी. सं. 17771/2003 का निर्णय लेते हुए न्यायालय ने दिनांक 20.12.2011 का निर्णय लिया। भारत संघ 2012 (1) आई. एल. आर. (पी. एंड. एच.) 347 ने संघ की शक्ति को नकार दिया। केंद्र सरकार अधिसूचना के माध्यम से सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925 में संशोधन करेगी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

5. यह कहा गया है कि 1925 के अधिनियम की निर्विवाद रूप से एक राज्य अधिनियम के रूप में कल्पना की गई थी। प्रत्यर्थी संख्या 3-एस. जी. पी. सी. 1925 के अधिनियम की धारा 40 का एक सृजन है। 1925 के अधिनियम की प्रस्तावना के साथ पठित धारा 40 में अन्य बातों के साथ यह प्रावधान है कि प्रत्यर्थी संख्या 3 कुछ/अधिसूचित सिखों के बेहतर प्रशासन के लिए गठित एक बोर्ड है।

गुरुद्वारों और मामलों की जांच और उनसे जुड़े विवादों के निपटारे के लिए। धारा 42 (3) प्रत्यर्थी संख्या 3 को "निगमित निकाय" का दर्जा प्रदान करती है।

6. राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (संक्षेप में "1956 अधिनियम") और 1966 अधिनियम के पारित होने के बाद, केंद्र सरकार ने समय-समय पर अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित प्रावधानों को "संशोधित" किया हैः 1925 के अधिनियम की धारा 85 (कुछ गुरुद्वारों के प्रबंधन समितियों का गठन) अधिसूचित सिख गुरुद्वारों की ऐसी सूची में संशोधन/जोड़ने के लिए, जिनके प्रबंधन की निगरानी -

उत्तरदाता सं. 3.

7. केंद्र सरकार ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसा किया है

1966 अधिनियम की धारा 72 (1) के तहत संशोधन। जबकि 1966 के अधिनियम की धारा 72 (1) वास्तव में केंद्र को सशक्त बनाती है।

सरकार को संशोधित करने के लिए, ऐसी शक्ति केंद्र सरकार द्वारा ऐसे निकाय कॉर्पोरेट यानी प्रतिवादी संख्या 3 के "कामकाज और संचालन" के संबंध में दिए गए निर्देशों तक सीमित है। कि ऐसी शक्ति के कार्य और संचालन तक सीमित है

सहजदारी सिख फेडरेशन मामले (सुप्रा) के मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। 8. वर्तमान प्रत्यर्थी उस राज्य विधान को दोहराता है। किसी राज्य के भीतर गुरुद्वारों के प्रशासन के संबंध में (जैसे कि पंजाब राज्य में गुरुद्वारों से संबंधित सिख गुरुद्वार अधिनियम, 1925) सख्ती से राज्य के अधिकार क्षेत्र में है, ऐसे राज्य विधान को लागू करने या संशोधित करने की शक्ति संसद द्वारा हड़पी नहीं जा सकती है और इस संबंध में याचिकाकर्ता और/या प्रतिवादी संख्या 3 की दलीलें बनाए रखने योग्य नहीं हैं।

हरभजन सिंह बनाम। हरियाणा राज्य और ओ. आर. एस. [हेमंत गुप्ता, जे।]

9. 1966 के अधिनियम की धारा 72 को राज्य सरकार के खिलाफ उस तरीके से नहीं पढ़ा जा सकता है जिस तरह से याचिकाकर्ता और/या प्रतिवादी संख्या 3 अब ऐसा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। धारा 72 के संदर्भ में केंद्र सरकार की शक्ति प्रत्यर्थी के कामकाज और संचालन से संबंधित निर्देशों को पारित करने तक सीमित है। नं. 3।

10. इसके अलावा, धारा 72 की भाषा को केवल पढ़ने से, केंद्र सरकार की निर्देश जारी करने की ऐसी सीमित शक्ति भी तब समाप्त हो जाएगी जब इस संबंध में सक्षम विधायिका द्वारा उचित कानून पारित किया जाएगा।

11. इसके अलावा किसी राज्य के भीतर गुरुद्वारों के प्रशासन से संबंधित कानून में संशोधन/अधिनियमन (जैसे कि पंजाब राज्य में गुरुद्वारों से संबंधित सिख गुरुद्वार अधिनियम, 1925) राज्य के विधायी क्षेत्र के भीतर है और ऐसे राज्य विधान को लागू करने या संशोधित करने की ऐसी शक्ति संसद द्वारा हड़पी नहीं जा सकती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि राज्य के पास धार्मिक और अन्य समाजों के संबंध में आवश्यक कानून बनाने की शक्ति है। और संघ (सूची-2, प्रविष्टि 32) और याचिकाकर्ता और/या प्रतिवादी संख्या 3 का पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 72 के प्रावधानों पर गलत भरोसा और ऐसे कानूनों को कानून बनाने/संशोधित करने के लिए संसद की कोई कथित सर्वव्यापी शक्ति गलत है।

12. 7 वीं अनुसूची में सूची I की प्रविष्टि No.44 पर निर्भरता जो "निगमन, विनियमन और समापन" से संबंधित है

निगमों को नहीं रखा जा सकता क्योंकि हाथ में कोई कानून नहीं है, जो निगमन, विनियमन या समापन से संबंधित है।

प्रत्यर्थी सं. 3 [यह स्वीकार किए बिना भी कि प्रत्यर्थी सं. 3 प्रविष्टि 44 सूची 1 के तहत परिकल्पित एक निगम है, जो ऐसा नहीं है]।

13. प्रत्यर्थी संख्या 3 अपनी कानूनी स्थिति, अस्तित्व और कार्यप्रणाली के लिए 1925 के अधिनियम की धारा 39-42 का सृजन है और उसका दायित्व है, जो सूची II की प्रविष्टि 32 के संदर्भ में राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित एक राज्य विधान है, न कि संसद द्वारा।

प्रविष्टि 4 सूची 1 ऐसे "अंतरराज्यीय निगमों" से संबंधित या उनका उल्लेख भी नहीं करती है। बल्कि यह निगमन से संबंधित है,

निगमों का विनियमन और समापन "।

2] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

28. संबोधित और/या प्रस्तुत तर्कों के आलोक में, हम पाते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न विचार के लिए उत्पन्न होते हैंः

((i)

क्या याचिकाकर्ताओं के कोई मौलिक अधिकार

भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन किया गया है। ताकि याचिकाकर्ताओं को अधिकारिता का आह्वान करने का अधिकार दिया जा सके

संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत यह न्यायालय?

क्या पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 72

((ख)

और अंतर-राज्य निगम अधिनियम, 1957 की धारा 3 और 4 अलग-अलग राज्यों के निर्माण से उत्पन्न होने वाले मुद्दों की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए संक्रमणकालीन प्रावधान थे।

(111) क्या विवादित अधिनियम (हरियाणा अधिनियम) हरियाणा राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता के अंतर्गत आता है या यह संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 44 के अंतर्गत आता है?

(iv) क्या विवादित अधिनियम अनुसूची VII की सूची-III (समवर्ती सूची) में आता है, जिसके लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 (2) के अनुसार भारत के राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है,

और इस तरह की सहमति के अभाव में, शून्य?

29. हम प्रश्न संख्या लेंगे। ((ii), (iii), और (iv) पहले और उसके बाद प्रश्न संख्या (i) का विज्ञापन करें।

प्रश्न सं. (ii)-क्या पंजाब की धारा 72

पुनर्गठन अधिनियम, 1966 और अंतर-राज्य की धारा 3 और 4 निगम अधिनियम, 1957 अलग राज्यों के निर्माण से उत्पन्न होने वाले मुद्दों की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए संक्रमणकालीन प्रावधान थे।

30. रिट याचिकाकर्ताओं, एस. जी. पी. सी. और संघ ने एक ही तर्क दिया है कि हरियाणा राज्य विधानमंडल के पास कोई शक्ति नहीं है।

एक अंतर-राज्य निगम के संबंध में कानून बनाने के लिए जो स्पष्ट है

1966 के अधिनियम की धारा 72 की उप-धारा (3) का पठन। ऐसे अंतर-राज्य निकाय के संबंध में, यह माना जाता है कि 1966 के अधिनियम की धारा 72 की उप-धारा (1) के संदर्भ में निर्देश जारी करने के लिए अकेले केंद्र सरकार सक्षम प्राधिकारी है। वैकल्पिक रूप से, हरियाणा राज्य का अधिकार 1957 के अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के संदर्भ में एक योजना तैयार करना और इसे केंद्र सरकार को इसके लिए भेजना है।

संशोधनों के साथ या बिना विचार और अनुमोदन।

श्री नटराज हरभजन सिंह बनाम। हरियाणा राज्य और ओ. आर. एस. [हेमंत गुप्ता, जे।]

हरियाणा अधिनियम संसद के पास नहीं है, बल्कि राज्य यानी हरियाणा राज्य के पास है। यह तर्क दिया गया कि 1957 का अधिनियम 1956 के अधिनियम की धारा 109 के अनुसरण में अधिनियमित किया गया था, जिसका उल्लेख उक्त अधिनियम की प्रस्तावना में भी किया गया है, और इसका उद्देश्य एक संक्रमणकालीन प्रावधान होना था जैसा कि 1957 के अधिनियम के अधिनियमन के लिए विधेयक पेश किए जाने पर उद्देश्यों और कारणों के विवरण में उल्लेख किया गया था। 1956 के अधिनियम की धारा 109 इस प्रभाव के लिए है कि जहां किसी मौजूदा राज्य के लिए केंद्रीय अधिनियम, राज्य अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम के तहत कोई निकाय निगमित किया गया है, जिसका पूरा या कोई हिस्सा भाग II के आधार पर किसी मौजूदा राज्य या नए राज्य को हस्तांतरित किया गया है, तो नियत दिन से उन क्षेत्रों में कार्य करना और काम करना जारी रखता है जिनके संबंध में वह था। उस दिन से तुरंत पहले काम करना और काम करना। ऐसा कार्य केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले ऐसे निर्देश के अधीन है, जब तक कि ऐसे निगमित निकाय के संबंध में कानून द्वारा अन्य प्रावधान नहीं किया जाता है।

32. 1957 का अधिनियम केंद्र सरकार को समय-समय पर निर्देश जारी करने का अधिकार देने के लिए एक कानून है ताकि

अलग-अलग राज्यों में, नए राज्यों में ऐसे वैधानिक निकाय सुचारू रूप से काम कर सकते हैं। यह "अंतर-राज्य निगम" को किसी भी निगमित निकाय के रूप में परिभाषित करता है।

अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी अधिनियम के तहत गठित और 1956 के अधिनियम की धारा 109 के आधार पर दो या दो से अधिक राज्यों में कार्य करना। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, 1925 का अधिनियम वर्ष 1972 में अनुसूची में जोड़ा गया। इसलिए, ऐसे अंतर-राज्य निगमों के संबंध में, केंद्र सरकार 1957 के अधिनियम के संदर्भ में केवल राज्यों के पुनर्गठन को प्रभावी बनाने के लिए निर्देश जारी कर सकती है ताकि अंतर-राज्य इकाई इस प्रकार गठित राज्यों में वैधानिक जनादेश का कार्य करने और निर्वहन करने में सक्षम हो सके। इस तरह के निर्देश संक्रमणकालीन प्रकृति के थे ताकि राज्यों के पुनर्गठन के कारण अंतर-राज्य निगमों के कामकाज में बाधा या कटौती न हो। न तो 1956 के अधिनियम और न ही 1966 के अधिनियम और न ही 1957 के अधिनियम ने विधायी क्षमता [2022] 12 एस. सी. आर. को छीन लिया है।

उन विषयों पर, जिनका उल्लेख सातवीं अनुसूची की सूची II में मिलता है और/या सातवीं अनुसूची की सूची III में आने वाले मामलों के संबंध में, राज्यों द्वारा निर्धारित तरीके से विधान बनाने के लिए।

33. 1956 का अधिनियम या 1966 का अधिनियम केंद्र को अधिकार देता है।

सरकार अंतर-राज्य इकाई को कार्यात्मक बनाने के लिए निर्देश जारी करेगी, लेकिन केंद्र सरकार को ऐसे अंतर-राज्य निकायों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार नहीं दिया गया है जो राज्यों के पुनर्गठन के कारण एक या अधिक राज्यों में कार्यात्मक हो गए हैं।

34. इस मुद्दे की जांच सबसे पहले इस न्यायालय द्वारा श्रीमती के रूप में रिपोर्ट किए गए एक फैसले में की गई है। स्वर्ण लता बनाम। भारत संघ और अन्य "। जिसमें,

केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के संबंध में, सवाल यह उठा कि क्या प्रिंसिपल का पद, सरकारी केंद्रीय महिला शिल्प संस्थान यह एक प्रतिनियुक्ति पद था और इसे चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा केवल प्रतिनियुक्ति पर एक अधिकारी द्वारा भरा जाना आवश्यक था, या इसे संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से पद का विज्ञापन करके एक उपयुक्त उम्मीदवार की नियुक्ति द्वारा भी भरा जा सकता था। यह तर्क दिया गया कि 1966 के अधिनियम की धारा 84 के संदर्भ में, विचाराधीन पद, स्वीकार्य रूप से,

अधिनियम की धारा 84 के तहत सरकार। इस न्यायालय ने जगतर सिंह बनाम पर भरोसा किया। पंजाब राज्य ने यह अभिनिर्धारित किया कि 1966 के अधिनियम की धारा 84 के तहत जारी किए गए निर्देश पूरक, आकस्मिक या परिणामी थे राज्यों के पुनर्गठन के तहत प्रावधान। इस तरह के निर्देश पंजाब और हरियाणा की राज्य सरकारों के साथ-साथ चंडीगढ़ प्रशासन के लिए भी बाध्यकारी हैं। स्वर्ण लता में इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:

" 35. ये निर्देश भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए पहले के निर्णय के अनुरूप थे

पूर्ववर्ती पंजाब राज्य की सरकार के मुख्य सचिव के 9 अगस्त, 1966 के पत्र में कहा गया है कि सरकार ने श्री बनाम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। शंकर, आई. सी. एस. पुनर्गठित राज्यों पंजाब और हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को कर्मियों के आवंटन के संबंध में विभागीय समितियों के प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के लिए। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के संबंध में, भारत सरकार का निर्णय इन शर्तों में था:

17 (1979) 3 एससीसी 165

18 (1972) 1 एस. सी. सी. 171 हरभजन सिंह बनाम।

हरियाणा राज्य और ओ. आर. एस. [हेमंत गुप्ता, जे।]

चंडीगढ़ को दोनों राज्यों द्वारा प्रतिनियुक्ति पर प्रदान किया जाएगा। पंजाब और हरियाणा। ”

अधिनियम की धारा 84 के तहत जारी किए गए उपरोक्त निर्देश थे -

के लिए पूरक, आनुषंगिक या परिणामी प्रावधान

राज्यों का पुनर्गठन। निर्देश बाध्यकारी थे

पंजाब और हरियाणा की राज्य सरकारों ने भी

सेवाओं के एकीकरण के मामले में चंडीगढ़ प्रशासनः

जगतर सिंह बनाम। पंजाब राज्य [(1972) 1 एस. सी. सी. 171]

37. हमें ऐसा लगता है कि प्रश्न के उचित निर्धारण के लिए,

सबसे पहले यह आवश्यक है कि जितना संभव हो उतना स्पष्ट रूप से तैयार किया जाए

सटीक प्रकृति और केंद्र द्वारा जारी निर्देशों का प्रभाव

पंजाब पुनर्गठन अधिनियम की धारा 84 के तहत सरकार,

1966 , जिसमें लिखा हैः

" 84. निर्देश देने की केंद्र सरकार की शक्ति। केंद्र सरकार राज्य को ऐसे निर्देश दे सकती है।

पंजाब और हरियाणा की सरकारों और प्रशासकों को केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़

जैसा कि देने के उद्देश्य से आवश्यक प्रतीत हो सकता है

सरकारें और प्रशासक इसका पालन करेंगे। दिशा निर्देश "।

प्रभाव देने के उद्देश्य से "शब्दों का उपयोग इस भाग के पूर्वगामी प्रावधान स्पष्ट रूप से इसके दायरे को कम करते हैं

अनुभाग। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देश धारा के तहत केवल एक सीमित उद्देश्य के लिए हैं अर्थात

पुनर्गठन के लिए योजना का कार्यान्वयन

सेवाएँ। जब सेवाओं के एकीकरण से संबंधित प्रक्रिया

पूरक, आनुषंगिक या परिणामी द्वारा परिकल्पित

बनाए गए कानून के तहत सेवाओं के पुनर्गठन के लिए प्रावधान

संसद द्वारा अनुच्छेद 2,3 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए और संविधान का 4 पूरा हो गया है, इस तरह का एक आकस्मिक

धारा 84 जैसे प्रावधान का प्रभाव अनिवार्य रूप से समाप्त हो जाता है।

(जोर दिया गया)

35. केंद्र सरकार के निर्देश केवल एक के लिए हैं

ई. डी. उद्देश्य अर्थात पुनर्गठन के लिए योजना के कार्यान्वयन के लिए

ई-सेवाएँ। यह अभिनिर्धारित किया गया कि जब एकीकरण से संबंधित प्रक्रिया [2022] 12 एस. सी. आर.

संविधान के अनुच्छेद 2,3 और 4 के तहत संसद की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सेवाएँ पूरी हो जाती हैं, धारा 84 जैसे आनुषंगिक प्रावधान का प्रभाव आवश्यक रूप से समाप्त हो जाता है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1.2.1975 पर प्रकाशित विज्ञापन के माध्यम से प्राचार्य के पद को भरने के संबंध में निर्देशों का सवाल उठा। चूंकि अनुच्छेद 309 के प्रावधान के संदर्भ में चंडीगढ़ प्रशासन के संबंध में कोई वैधानिक नियम नहीं बनाए गए थे, इसलिए यह माना गया कि केंद्र सरकार के निर्देश बाध्यकारी हैं, क्योंकि चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। यद्यपि उक्त निर्णय में है

1966 के अधिनियम की धारा 84 के संबंध में, लेकिन उक्त निर्णय का अनुपात 1966 की धारा 72 के अंतर्गत आने वाली अंतर-राज्य संस्थाओं के संबंध में लागू होता है।

1966 का अधिनियम भी।

36. इस न्यायालय ने एक निर्णय में डी. ए. वी. कॉलेज, आदि के रूप में रिपोर्ट किया। आदि. वी. पंजाब राज्य और Ors.19 दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज (डी. ए. वी. कॉलेज) ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित और प्रशासित कई कॉलेजों द्वारा दायर 14 रिट याचिकाओं की जांच कर रहा था। यह चुनौती गुरु नानक विश्वविद्यालय, अमृतसर, अधिनियम 1969 (1969 का अधिनियम संख्या 21) के कुछ प्रावधानों के खिलाफ थी। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में, पंजाब राज्य में अमृतसर, गुरदासपुर, जालंधर और कपूरथला जिलों को निर्दिष्ट करते हुए दिनांक 1 की एक अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जिसमें गुरु नानक विश्वविद्यालय, अमृतसर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि विवादित कानून याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है, इसलिए, विधायी क्षमता का प्रश्न या संविधान की धारा 5 की वैधता पर निर्णय लेना।

1969 अधिनियम नहीं बना। इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 49. यह हमारे विचार में कानूनी स्थिति है जब एक बार

विवादित कानून के मौलिक अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है याचिकाकर्ताओं के रूप में इस मामले में हमने इसे इस तरह स्थापित किया है, विधायी क्षमता के प्रश्न में जाना या जाना आवश्यक नहीं है

धारा 5 की वैधता पर निर्णय लें।

50. इसलिए हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि जिस अधिसूचना के तहत कॉलेज विश्वविद्यालयों से संबद्ध हैं, वह कानूनी रूप से वैध है और उसमें निर्दिष्ट तिथि से याचिकाकर्ता कॉलेज पंजाब विश्वविद्यालय से संबद्ध नहीं हैं। परिणामस्वरूप इन याचिकाओं को इस हद तक अनुमति दी जाती है कि क़ानूनों के अध्याय 5 के खंड 2 (1) (ए) और खंड 17 को इस प्रकार निरस्त कर दिया जाता है -

19 19 (1971) 2 एस. सी. सी. 269 हरभजन सिंह बनाम।

हरियाणा राज्य और ओ. आर. एस. [हेमंत गुप्ता, जे।]

याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करना, लेकिन

बिना किसी लागत के परिस्थितियाँ।

37. उपरोक्त फैसले के बाद याचिकाकर्ताओं ने एक रिट याचिका दायर की

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष दयानंद एंग्लो-वैदिक कॉलेज प्रबंधन समिति ने अधिनियम को क्षेत्रीय सांठगांठ की कमी के आधार पर चुनौती दी क्योंकि पंजाब विश्वविद्यालय पंजाब के क्षेत्र के बाहर चंडीगढ़ में स्थित है। इस स्तर पर यह ध्यान दिया जा सकता है कि पंजाब विश्वविद्यालय और इसके तहत गठित बोर्ड

1925 अधिनियम 1966 अधिनियम की धारा 72 की उप-धारा (3) के तहत आता है। यह अभिनिर्धारित किया गया कि केंद्र सरकार की निर्देश जारी करने की शक्ति एक सीमित अवधि के लिए थी, यानी जब तक कि पंजाब विश्वविद्यालय के संबंध में कानून द्वारा अन्य प्रावधान नहीं किए जाते। यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

" 4 .....

..... नियत दिन और उससे ठीक पहले

कि, विभिन्न कॉलेज उस विश्वविद्यालय से संबद्ध थे जो थे

पंजाब और हरियाणा के उत्तराधिकारी राज्यों में स्थित, संघ

चंडीगढ़ क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल

प्रदेश, जिसमें पंजाब के कुछ क्षेत्रों को स्थानांतरित कर दिया गया था। इसलिए, धारा 72 में यह प्रावधान किया गया था कि पंजाब विश्वविद्यालय

उन क्षेत्रों में काम करना और काम करना जारी रखना था

जिनमे से यह तुरंत पहले काम कर रहा था और काम कर रहा था उत्तराधिकारी राज्यों को वंचित न करने के लिए निर्धारित दिन

के पुनर्गठन पर तुरंत शैक्षिक सुविधाएं

पूर्ववर्ती पंजाब राज्य। पंजाब विश्वविद्यालय की निरंतरता

उत्तराधिकारी राज्यों के हित में वांछनीय था लेकिन पंजाब

विश्वविद्यालय को केवल उन उत्तराधिकारी राज्यों की सेवा तब तक करनी थी जब तक कि वे

उनके अपने क्षेत्रों में उचित शिक्षा के लिए कोई अन्य प्रावधान सातवीं अनुसूची में सूची II की प्रविष्टि 11 के तहत

संविधान। जब तक कोई भी उत्तराधिकारी राज्य इसमें कानून द्वारा कार्रवाई नहीं करता है।

पंजाब विश्वविद्यालय की ओर से अपने कार्यों को जारी रखना था और

केंद्र द्वारा जारी निर्देशों के अधीन संचालन

सरकार। जारी करने की केंद्र सरकार की शक्ति

निर्देश एक सीमित अवधि के लिए थे, यानी अन्य प्रावधानों तक।

पंजाब विश्वविद्यालय के संबंध में कानून द्वारा बनाया गया था। अगर

उत्तराधिकारी राज्यों ने पंजाब विश्वविद्यालय को जारी रखने की इच्छा व्यक्त की

इससे पहले उनके क्षेत्रों में, उन्हें बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी

विषय पर कोई विधि अधिनियमित करके कोई प्रावधान लेकिन

कार्यप्रणाली को लेकर उत्तराधिकारी राज्यों के बीच टकराव से बचें।

पंजाब विश्वविद्यालय से, [2022] 12 एस. सी. आर. के साथ निर्देश जारी करने की शक्ति।

संसद को कानून बनाने के लिए विधानमंडल के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है। अन्य प्रावधान करने वाला कानून। धारा 72 की व्याख्या करते समय, हमें खुद को केवल अधिनियम तक ही सीमित नहीं रखना है, बल्कि ऐसे सभी निगमित निकायों तक सीमित रखना है जो नियत दिन से पहले राज्य के भीतर थे और पूर्ववर्ती पंजाब राज्य के पुनर्गठन के कारण नियत दिन पर और उसके बाद अंतर-राज्य निकाय निगमित हो गए थे। धारा 72 की उप-धारा (1) का पहला भाग स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि संसद धारा में प्रावधान कर रही थी।

72 निगमित निकायों के संबंध में जो केंद्रीय अधिनियम, राज्य अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम के तहत गठित किए गए थे और यही कारण है कि इन निकायों के संबंध में कानून बनाने के लिए विधायी प्राधिकरण को निर्दिष्ट नहीं किया गया था। यह इस कारण से हो सकता है कि केंद्र के अधीन गठित निगमित निकायों के संबंध में

अधिनियम, कानून बनाने के लिए संसद उपयुक्त विधानमंडल थी, जबकि किसी भी राज्य अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम के तहत गठित निगमों के संबंध में, राज्य विधानमंडल उपयुक्त विधानमंडल होना था। संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II में प्रविष्टि 11 के अनुसार विश्वविद्यालयों सहित शिक्षा राज्य का विषय है और पंजाब विश्वविद्यालय को शामिल किया गया था।

पंजाब अधिनियम के तहत। पूर्ववर्ती पंजाब राज्य के पुनर्गठन तक यह उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्य करता रहा। यह कल्पना नहीं की जा सकती है कि किसी भी राज्य या प्रांतीय अधिनियम के तहत गठित सभी अंतर-राज्य निकायों के संबंध में, कानून द्वारा कोई अन्य प्रावधान करने का अधिकार क्षेत्र संसद द्वारा ही ले लिया गया था। इन निगमित निकायों को किसी विशेष राज्य के लोगों के लिए काम करना था और करना है और उन्हें उनकी जरूरतों को पूरा करना है। उनकी ज़रूरतें उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त की जाती हैं और इसलिए। यह नहीं माना जा सकता है कि संसद उत्तराधिकारी हरभजन सिंह बनाम को वंचित करना चाहती थी।

हरियाणा राज्य और ओ. आर. एस. [हेमंत गुप्ता, जे।]

शिक्षा के संबंध में अपने विधान के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के राज्य जो किसी भी राज्य के विकास और प्रगति के लिए बिल्कुल आवश्यक है।

XX

XX

XX

प्रत्येक राज्य अपने राज्य के भीतर शिक्षा और विश्वविद्यालयों के संबंध में कानून बना सकता है और विश्वविद्यालय के स्थान की परवाह किए बिना अपने कार्यों और संचालन को नियंत्रित और विनियमित कर सकता है। यह देखना होगा कि कानून का विषय राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है।

विधानमंडल और यदि ऐसा है, तो यह उस राज्य के भीतर सभी व्यक्तियों और संस्थानों को प्रभावित कर सकता है जिन पर इसे लागू किया जा सकता है। इसलिए, मेरी राय में, केवल यह तथ्य कि पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में स्थित है, जो पंजाब राज्य के क्षेत्र के बाहर है, पंजाब राज्य विधानमंडल को पंजाब विश्वविद्यालय के कार्यों और संचालन को प्रभावित करने वाले कानून को लागू करने से नहीं रोकता है। क्षेत्र।

XX

XX

XX

6 ..... . अतः यह प्रस्तुत किया जाता है कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम की धारा 72 को अधिनियमित करते हुए, संसद ने सातवीं अनुसूची की सूची II में प्रविष्टि 11 में संशोधन करने का इरादा किया है।

पंजाब विश्वविद्यालय को उक्त सूची से बाहर निकालकर और उसके संबंध में कानून बनाने की शक्ति संविधान में निहित करने के लिए संसद, इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 245 और 246 में निहित रूप से संशोधन करती है। मैंने ऊपर जो कहा है, उसे देखते हुए इस समर्पण का कोई बल नहीं है। संसद ने कानून को अपने द्वारा बनाए गए कानून के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया। इसने केवल इतना कहा कि "जब तक निगम निकाय के संबंध में कानून द्वारा अन्य प्रावधान नहीं किए जाते"। मुझे है।

उस वाक्य में "कानून" शब्द की व्याख्या उपयुक्त विधानमंडल द्वारा बनाई गई कानून के अर्थ में की गई, यानी किसी भी केंद्रीय अधिनियम या अधिनियम के तहत गठित निगमित निकायों के संबंध में।

संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I में उल्लिखित विषय पर कौन सा विधान बनाया जाना है, कानून संसद द्वारा बनाया जाना था, लेकिन एक निकाय के संबंध में

एक राज्य या एक प्रांतीय अधिनियम के तहत गठित, जिसमें कानून का विषय सातवीं अनुसूची की सूची II में पाया जाना था

संविधान के अनुसार, कानून बनाने के लिए उपयुक्त विधानमंडल राज्य विधानमंडल होना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पंजाब विश्वविद्यालय के संबंध में निर्देश जारी करना जो

राज्य ने कार्यप्रणाली और संचालन के संबंध में एक प्रावधान किया अपने क्षेत्र के भीतर पंजाब विश्वविद्यालय। इसलिए ऐसा नहीं किया जा सकता।

कहा जा सकता है कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम की धारा 72

अनुच्छेद 245 और 246 और प्रविष्टि 11 में संशोधन किया गया। संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II में

पंजाब विश्वविद्यालय। यह केवल पंजाब विश्वविद्यालय नहीं है जो

पंजाब पुनर्गठन अधिनियम की धारा 72 द्वारा शासित, लेकिन

किसी भी केंद्रीय, राज्य के तहत गठित कई अन्य निगम निकाय

या प्रांतीय अधिनियम, जो इससे पहले राज्य के भीतर चल रहे थे

नियत किया गया दिन और अंतर-राज्य निकाय निगमित बन गए क्योंकि पुनः संगठन का "।

(जोर दिया गया)

38. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के समक्ष

सहजधारी सिख फेडरेशन में, मुद्दा 1925 के अधिनियम की धारा 49 और 92 में एक प्रावधान डालने वाली अधिसूचना की वैधता के बारे में था कि कोई भी व्यक्ति निर्वाचक के रूप में पंजीकृत नहीं होगा जो अपनी दाढ़ी या केश काटता है या मुंडन करता है, धूम्रपान करता है और मादक पेय लेता है। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 1966 के अधिनियम की धारा 72 के संदर्भ में, केंद्र सरकार ऐसा निर्देश जारी नहीं कर सकती है जो क़ानून यानी 1925 के अधिनियम को संशोधित करने का प्रभाव रखता हो। इस प्रकार उच्च न्यायालय ने इस अधिसूचना को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि 1966 के अधिनियम की धारा 72 केंद्र सरकार को उन क्षेत्रों में अंतर-राज्य निकाय निगम (बोर्ड यानी एस. जी. पी. सी.) के कामकाज और संचालन से संबंधित निर्देश जारी करने का अधिकार देती है जहां यह 1 से ठीक पहले काम कर रहा था या काम कर रहा था।

इस तरह की बाधा या कठिनाई के तथ्य को स्थापित किया; के मामले (ओं) ऐसी बाधा या कठिनाई 'कानून' से उत्पन्न हुई, अर्थात् 1925 अधिनियम जिसके तहत बोर्ड की स्थापना की गई थी; और केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार की गई बाधा या कठिनाई, यदि कोई हो,

1925 के अधिनियम को 'संशोधित' करके या उस अधिनियम में 'संशोधन' करके हटा दिया गया था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि 1966 के अधिनियम की धारा 72 (2) केंद्र सरकार को केंद्रीय अधिनियम, राज्य अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम में संशोधन करने का अधिकार नहीं देती है ताकि ऐसे अधिनियमों में संशोधन किया जा सके। नतीजतन, 8.10.2003 दिनांकित अधिसूचना को रद्द कर दिया गया। हालाँकि, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने हरभजन सिंह बनाम के संबंध में कुछ निष्कर्ष दिए।

हरियाणा राज्य और ओ. आर. एस. [हेमंत गुप्ता, जे।]

ई 1966 अधिनियम की धारा 72 के प्रयोजनों के लिए प्रासंगिक हैं

एन. टी. रिट याचिका जो निम्नानुसार हैः

" 67. पूरक, आनुषंगिक और परिणामी का दायरा

मंगल सिंह में प्रावधानों को आधिकारिक रूप से हल किया गया है।

यह निर्धारित करते हुए कि अनुच्छेद 2 और 3 संसद को गठन करने का अधिकार देते हैं

द्वारा परिकल्पित लोकतांत्रिक स्वरूप के अनुरूप नए राज्य संविधान ", और वह शक्ति, जो संसद कर सकती है

किसी राज्य का प्रवेश, स्थापना या गठन संविधान द्वारा विचार किया गया है और 'ओवरराइड करने की शक्ति नहीं है

संवैधानिक योजना '। लोकतांत्रिक राजनीति का समावेश किया गया और

हमारी संवैधानिक योजना में एकीकृत, एक अलग अभिधारणा करता है

एक उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायपालिका, और इसकी अपनी समेकित प्रत्येक राज्य के लिए निधि आदि। अतः यह संसद के लिए अनिवार्य है।

कानून के प्रयोग से एक नए राज्य का गठन करते समय, इस तरह के जोड़ने के लिए

में पूरक, आनुषंगिक और परिणामी प्रावधान

पुनर्गठन अधिनियम जो एक 'राज्य' के सभी अवयवों को माना जाता है

संविधान द्वारा अस्तित्व में लाया जाता है।

XX

XX

XX

70. हम यह कहना पूरी तरह से अतार्किक पाते हैं कि द्वारा की गई कार्रवाई

पुनर्गठन कानून के तहत एक प्रतिनिधि के रूप में कार्यपालक एक बन जाता है

संविधान का हिस्सा। चूँकि एक पुनः संगठन कानून स्वयं है

संविधान का निर्माण, एक प्रशासनिक या अर्ध-न्यायिक

इसके तहत की गई कार्रवाई को एक हद तक भी नहीं माना जा सकता है

संविधान का कोई भी प्रावधान। इसके विपरीत प्रस्ताव

प्रतियोगी उत्तरदाताओं की ओर से प्रस्तावित होना चाहिए

अस्वीकार इस कारण से भी किया गया कि यह सर्वोच्चता को कम करने का प्रयास करता है

हमारा संविधान।

XX

XX

XX

75. 1966 के अधिनियम का स्पष्ट उद्देश्य सबसे पहले हैः पुनर्गठित करें

हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़; कुछ क्षेत्रों का हस्तांतरण पंजाब से हिमाचल प्रदेश तक और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना

नवगठित राज्यों में जिसमें उनका प्रतिनिधित्व शामिल है

संबंधित विधानमंडलों और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन;

सामान्य उच्च न्यायालय; व्यय और वितरण का प्राधिकरण [2022] 12 एस. सी. आर.

राजस्व और परिसंपत्तियों और देनदारियों आदि का विभाजन। भाग VU "कुछ निगमों" से संबंधित है जबकि भाग-VIII भाखड़ा-नांगल-ब्यास परियोजनाओं के प्रबंधन और अखिल भारतीय सेवाओं और अन्य सेवाओं के सदस्यों के आवंटन से संबंधित है। अंत में। अधिनियम के भाग-X में कानूनी और विविध प्रावधान शामिल हैं। इस प्रकार 1966 का अधिनियम अपने आप में एक पूर्ण संहिता है जो संवैधानिक योजना के अनुरूप है और इसमें सभी पूर्वकल्पित या पूर्वकल्पित समस्याओं को हल करने के लिए पूरक, आनुषंगिक और परिणामी प्रावधान शामिल हैं। अप्रत्याशित मुद्दे जो पूर्ववर्ती पंजाब राज्य के पुनर्गठन के कारण उत्पन्न हो सकते हैं।

XX

XX

XX

शेष के 'कार्य' और 'संचालन' को विनियमित करने का प्रावधान, जो या तो उत्तराधिकारी राज्यों की जरूरतों को पूरा करते हैं या अंतर-राज्य निकाय निगम बन गए हैं। कानूनी सीमाएँ, व्यापक या प्रतिबंधित, के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए निर्धारित की जाती हैं। धारा 72 उत्परिवर्तन भाग VII के अन्य प्रावधानों पर भी लागू होगी।

83. धारा 72 में चार भाग शामिल हैं और यह अनिवार्य रूप से संसद द्वारा उन अनिर्दिष्ट न्यायिक संस्थाओं से निपटने के लिए जोड़ा गया एक 'परिणामी' प्रावधान है जो इन आवश्यकताओं की सेवा में थे।

उत्तराधिकारी राज्यों या पंजाब राज्य के पुनर्गठन के बाद अंतर-राज्य निकाय निगमों का दर्जा प्राप्त कर लिया था।

84. धारा 72 की उप-धारा (1) इस वाक्यांश से शुरू होती है, सिवाय इसके कि इसके पूर्वगामी प्रावधानों द्वारा अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया हो।

भाग '। हमारे विचार में उपरोक्त वाक्यांश एक 'अपवाद' की प्रकृति का है, इस हद तक कि यह भाग की धारा 67 से 71 के तहत स्पष्ट रूप से निपटाए गए निकाय निगमों के वर्ग को बाहर करता है।

VII, धारा 72 के दायरे से। उस 'अपवाद' के अधीन और यदि धारा 72 (1) को इसकी बेहतर समझ के लिए भागों में विभाजित किया जाता है, तो यह पता चलता है किः

हरभजन सिंह बनाम। हरियाणा राज्य और ओ. आर. एस. [हेमंत गुप्ता, जे।]

(i) जब किसी केंद्रीय अधिनियम, राज्य अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम के तहत मौजूदा पंजाब राज्य या उसके किसी हिस्से के लिए गठित कोई निगमित निकाय,

((ii) उत्तराधिकारी राज्यों की जरूरतों को पूरा करता है या पंजाब राज्य के पुनर्गठन के आधार पर नियत दिन यानी 1 नवंबर, 1966 को एक अंतर-राज्य निकाय निगमित बन जाता है।

((ग) ऐसा निगमित निकाय कार्य करना और कार्य करना जारी रखेगा।

इसके संचालन के मूल क्षेत्र हालांकि ये क्षेत्र बन गए हैं

उत्तराधिकारी राज्यों का क्षेत्र,

((iv) लेकिन उत्तराधिकारी राज्यों के क्षेत्रों में उक्त निकाय निगमित का 'कार्य' और 'संचालन' निम्नलिखित के अधीन होगाः - (क) केंद्र द्वारा समय-समय पर ऐसे निर्देश जारी किए जा सकते हैं।

सरकार; और (ख) जब तक उक्त निगमित निकाय के संबंध में कानून द्वारा अन्य प्रावधान नहीं किया जाता है,

XX

XX

XX

87. इसी सादृश्य पर, धारा 72 की उप-धारा (2) को कोई अलग उद्देश्य या अर्थ नहीं दिया जा सकता है, इसलिए हमारा मानना है कि केंद्र को सौंपी गई शक्ति का स्वरूप, दायरा और विस्तार

सरकार द्वारा किसी केंद्रीय अधिनियम, राज्य अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम में 'अपवाद' या 'संशोधन' करना धारा 67 (2) के तहत उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति के समान है और समान सीमाओं के अधीन है। यदि धारा 72 (2) के दायरे को उससे आगे बढ़ाने का कोई भी प्रयास किया जाता है, तो यह न केवल पैरा 85 में संक्षेप में देखे गए वैधानिक व्याख्या के प्राथमिक सिद्धांतों के लिए हिंसक होगा, बल्कि प्रत्यायोजित विधायी शक्तियों से परे भी होगा। हम ऐसा इस कारण से भी कहते हैं कि धारा 72 की धारा 67 (2) या उप-धारा (2) के पीछे विधायी उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पूर्ववर्ती राज्य के पुनर्गठन के कारण एक अंतर-राज्य निकाय निगम बनने पर किसी निकाय का कामकाज बाधित न हो। पंजाब। धारा 72 की उप-धारा (2) के तहत जारी किए जाने वाले निर्देशों का दायरा निगमित निकाय को नियंत्रित करने वाले 'कानून' की प्रयोज्यता तक सीमित है, इसलिए उपरोक्त निर्देश ऐसे निगमित निकाय के 'कार्य' या 'संचालन' से संबंधित है। इसके लिए एक आवश्यक परिणाम के रूप में यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि केंद्र सरकार द्वारा धारा 72 (2) के तहत कोई निर्देश तब तक जारी नहीं किया जा सकता है जब तक कि यह उस नियत दिन पर निगमित निकाय पर लागू 'कानून' से संबंधित न हो जब उसने एक अंतर [2022] 12 एस. सी. आर. का कानूनी चरित्र प्राप्त कर लिया हो।

राज्य निकाय निगमित। उप-धारा (2) के शब्द विशेष रूप से 'हो सकता है' इस बात पर संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता है कि यह केवल एक सक्षम प्रावधान है और कहीं भी यह केंद्र सरकार से निर्देश जारी करने की उम्मीद नहीं करता है, भले ही इसकी आवश्यकता न हो।

XX

XX

XX

95. यह विश्वसनीय प्रतीत होता है कि यदि संसद केंद्र सरकार को किसी प्रतिमा में 'संशोधन' करने की शक्ति प्रदान करने का इरादा रखती है या यदि वह

ऐसा करने के लिए, उस प्रभाव के लिए एक विशिष्ट प्रावधान करने में कोई बाधा नहीं थी। संसद ने 1966 के अधिनियम की धारा 89 के तहत कानूनों को अनुकूलित करने का प्रावधान करते हुए उपयुक्त सरकारों को कानून के ऐसे अनुकूलन और संशोधन करने के लिए अधिकृत किया है, चाहे वे निरसन या संशोधन के माध्यम से हों, जो दो साल की अवधि के भीतर आवश्यक हो।

नियत दिन जब तक कि ऐसी विधि किसी सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवर्तित, निरस्त या संशोधित नहीं की जाती है। 'संशोधन' वाक्यांश का उल्लेख धारा 70 और 86 में क्रमशः राज्य विधानमंडल और परि-विधान की विधायी शक्तियों के संदर्भ में किया गया है। इस प्रकार संसद ने 'संशोधन' या 'संशोधन' अभिव्यक्तियों का बार-बार लेकिन स्पष्ट रूप से उपयोग किया है। यह एक क़ानून के निर्माण का एक अच्छी तरह से स्थापित नियम भी है कि जब विधानमंडल अलग-अलग स्थानों पर दो अलग-अलग शब्दों का उपयोग करता है, तो उनके अलग-अलग अर्थ होते हैं क्योंकि विधानमंडल शायद ही कभी अतिव्यापी या अनावश्यक शब्दों का उपयोग करता है। न्यायालय हमेशा इस आधार पर आगे बढ़ेगा कि विधानमंडल ने प्रत्येक अभिव्यक्ति को एक उद्देश्य के लिए जोड़ा है और विधायी इरादा यह है कि इनमें से कोई भी प्रावधान नहीं है।

कानून का अनावश्यक पाया जाता है। अगर संसद की मंशा

'संशोधन' वाक्यांश का उपयोग करते समय 'संशोधन' की शक्ति प्रदान करने के लिए यह किसी भी अस्पष्टता से बचने के लिए धारा 72 में बाद वाले वाक्यांश को सम्मिलित करता। धारा 72 में "संशोधन" शब्द। इसलिए, इसे 'संशोधन' शब्द के अनुरूप नहीं माना जा सकता है जिसका उल्लेख 1966 के अधिनियम की धारा 70 और 86 में मिलता है।

96. धारा 72 (2) के बारे में हमारी समझ, जैसा कि ऊपर कहा गया है, दयानंद एंग्लो-वैदिक कॉलेज प्रबंधन समिति में पूर्ण पीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के अनुरूप प्रतीत होती है।

यह देखते हुए कि ". यदि यह अभिप्रेत था कि कानून द्वारा अन्य प्रावधान भी केंद्र सरकार द्वारा किए जाने थे, तो संसद ने यह कहने के बजाय धारा 72 में स्पष्ट रूप से कहा होगा" जब तक कि उक्त निकाय के संबंध में कानून द्वारा अन्य प्रावधान नहीं किए जाते।

हरियाणा राज्य और ओ. आर. एस. [हेमंत गुप्ता, जे।]

निगमित। "यह इस कारण से हो सकता है कि केंद्रीय अधिनियम के तहत गठित निगमित निकायों के संबंध में, संसद कानून बनाने के लिए उपयुक्त विधायिका थी, जबकि किसी भी राज्य अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम के तहत गठित सहकारी समितियों के संबंध में राज्य विधानमंडल उपयुक्त विधानमंडल होना था।"

97. धारा 72 की उप-धारा (3) को ध्यान में रखते हुए, जिसके दायरे और उद्देश्य पर पक्षकारों के वकील द्वारा भी विवाद किया जाता है, वह

यह देखा जा सकता है कि उप-धारा (3) के तीन महत्वपूर्ण घटक हैं, अर्थात् (ए) यह संदेहों को दूर करने के लिए है; (बी) यह घोषणात्मक प्रकृति का है; और (सी) यह वास्तव में घोषणा करता है कि धारा 72 पंजाब विश्वविद्यालय पर लागू होगी। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय और सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 के भाग III के तहत गठित बोर्ड। उप-धारा (3) किसी नए क्षेत्र पर कब्जा नहीं करती है और न ही यह केंद्र सरकार को निर्देश जारी करने के लिए कोई अतिरिक्त शक्ति प्रदान करती है। यह केवल शंकाओं को दूर करता है और उपरोक्त दोनों विश्वविद्यालयों को सामने लाता है। और बोर्ड धारा 72 (1) और (2) के दायरे में है, जिसके तहत केंद्र सरकार उनके कामकाज और उनके संचालन के क्षेत्र के संबंध में निर्देश जारी करने में सक्षम है, क्योंकि वे अंतर-राज्य निकाय निगम हैं।

XX

XX

XX

निष्कर्ष -

122 .

XX

XX

XX

(v) हमारा मानना है कि 1966 के अधिनियम की धारा 72 केंद्र सरकार को उन क्षेत्रों में एक अंतर-राज्य निकाय निगम के 'कामकाज' और 'संचालन' से संबंधित निर्देश जारी करने का अधिकार देती है जहां यह निर्धारित दिन से तुरंत पहले काम कर रहा था। इन निर्देशों में यह शामिल हो सकता है कि अंतर-राज्य निकाय निगमित बनने से पहले निकाय-निगमित के मामलों को नियंत्रित करने वाला 'कानून' इस उद्देश्य के लिए लागू होता रहेगा कि

' उन क्षेत्रों में कार्य करना 'या' संचालन 'जो उस राज्य के अधिकार क्षेत्र के नियंत्रण से बाहर हो गए हैं जिसके कानून के तहत ऐसा निकाय है

निगम का गठन किया गया।

(vi) केंद्र सरकार द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति

केंद्रीय अधिनियम, राज्य अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम को 'संशोधित' करने के लिए 1966 के अधिनियम की धारा 72 की धारा (2) में [2022] 12 एस. सी. आर. की शक्ति शामिल नहीं है।

' ऐसे अधिनियमों में संशोधन करें। धारा 72 के तहत प्रत्यायोजित क़ानून को 'संशोधित' करने की शक्ति किसी भी आवश्यक परिवर्तन के लिए अधिकृत नहीं है।

विधायी विशेषताएँ या ऐसी क़ानून में निर्मित नीति। संसद केंद्र सरकार को धारा 72 (2) के तहत किसी अधिनियम को 'संशोधित' करने का अधिकार देते हुए न तो किसी अधिनियम को 'निरस्त' करने या 'संशोधन' करने की शक्ति सौंप सकती है, क्योंकि संवैधानिक योजना के तहत ऐसी शक्ति का प्रयोग अकेले विधानमंडल द्वारा किया जा सकता है। प्रत्यायोजित विधायी शक्ति प्रमुख विधान के समानांतर नहीं चल सकती है और उसे अपनी शक्ति का प्रयोग निम्न के ढांचे के भीतर करना चाहिए -

क़ानून।

(vii) 1966 के अधिनियम की धारा 72 एक सक्षम प्रावधान है और केंद्रीय अधिनियम में 'अपवाद' या 'संशोधन' करने की शक्ति है।

राज्य अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम दिशाहीन, निरंकुश या बेलगाम नहीं है और इस वाक्यांश में पढ़ी जाने वाली अंतर्निहित सीमाओं के अधीन है कि "निकाय उन क्षेत्रों में कार्य करना और काम करना जारी रखेगा जिनके संबंध में यह कार्य कर रहा था और कार्य कर रहा था।

नियत दिन से ठीक पहले।

(viii) धारा 72 के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देश हालांकि निम्नलिखित अर्थों के भीतर 'कानून' के बराबर होंगेः संविधान का अनुच्छेद 13 (3) (ए) लेकिन वे संसदीय विधान के चरित्र में भाग नहीं लेते हैं।

39. दाखिल किए गए जवाबी हलफनामे में, यह उल्लेख किया गया है कि पंजाब की पूर्ण पीठ द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के खिलाफ [आर्याना उच्च न्यायालय] विचाराधीन था। 2013 की उक्त सिविल अपील 334 पर 15.9.2016 पर निर्णय लिया गया। लंबित ई-अपील के दौरान, संसद ने 1925 के अधिनियम में पूर्वव्यापी संशोधन करने की दृष्टि से सिख गुरुद्वारा (संशोधन) 2016 को पारित कर दिया।2003 , अर्थात्, उच्च न्यायालय द्वारा रद्द की गई अधिसूचना की तारीख। इसने निम्नलिखित टिप्पणी करते हुए अपील का निपटारा कियाः

" 7. हम श्री गंगुली के समर्पण में योग्यता पाते हैं। उच्च न्यायालय ने, जैसा कि पहले देखा गया है, विशेष रूप से इस मुद्दे को उपयुक्त विधानमंडल के विचार के लिए खुला छोड़ दिया है कि क्या 1925 के अधिनियम में किसी संशोधन की आवश्यकता है या नहीं। तदनुसार संसद ने पहले निर्दिष्ट संशोधन अधिनियम लाया है और 1925 के अधिनियम में पूर्वव्यापी रूप से डब्ल्यू. ई. एफ. 08.10.2003 अर्थात उस तारीख को संशोधन किया है जब रिट याचिका में आक्षेपित अधिसूचना जारी की गई थी। परिणाम यह है कि सभी उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए, संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा किया गया संशोधन हरभजन सिंह बनाम।

हरियाणा राज्य और ओ. आर. एस. [हेमंत गुप्ता, जे।]

उक्त तिथि से प्रभावी। मामला होने के कारण, उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 08.10.2003 अधिसूचना को रद्द करना है
बाद के प्रकाश में अप्रासंगिक प्रस्तुत किया गया

संसदीय विधान जिसके द्वारा उद्देश्य

प्राप्त करने के लिए मांगी गई अधिसूचना संसद द्वारा उठाए गए विधायी उपाय द्वारा प्राप्त की गई है।

40. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला के रूप में रिपोर्ट किए गए एक फैसले का संदर्भ दिया गया था जिसमें हिमाचल प्रदेश राज्य

41. एक अन्य निर्णय जिसका उल्लेख किया गया है वह है मुल्लापेरियार पर्यावरण संरक्षण मंच बनाम। भारत संघ और Ors.20 जहाँ मुल्लापेरियार बांध केरल और तमिलनाडु राज्य का एक अंतर-राज्यीय निकाय था। सवाल यह उठाया गया कि क्या ऐसे बांध में जल स्तर को 142 फीट तक बढ़ाने की अनुमति दी जा सकती है या नहीं। केरल राज्य ने जल स्तर को 136 फीट से अधिक बढ़ाने का विरोध किया, जबकि तमिलनाडु राज्य ने जल स्तर को 142 फीट तक बढ़ाने की मांग की। 1956 के अधिनियम की धारा 108 सिंचाई, बिजली या बहुउद्देशीय से संबंधित है। परियोजनाएं। उक्त प्रावधान में विचार किया गया है कि यदि राज्यों के बीच कोई समझौता नहीं होता है, तो निर्णय केंद्र सरकार द्वारा लिया जाएगा। एक तर्क दिया गया कि 1956 के अधिनियम की धारा 108 अमान्य है क्योंकि यह सूची II की प्रविष्टि 17 के संदर्भ में राज्य के अधिकार को प्रभावित करती है। इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 21. ..... नए राज्य का अस्तित्व संसद द्वारा बनाए गए कानून के कारण है। यह कहना असंगत होगा कि किसी अधिनियम में प्रावधान जो किसी राज्य को जन्म देता है, वह विधायी प्रविष्टि के अधिकार से बाहर है जिसे राज्य अपने अस्तित्व में आने के बाद संचालित कर सकता है। सातवीं की सूची II में कानून बनाने की राज्य की शक्ति

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अनुसूचियाँ अनुच्छेद 3 और 4 के तहत संसदीय विधान के अधीन हैं। राज्य ऐसे जल पर विधायी शक्तियों का दावा नहीं कर सकता है जो एक अंतर-राज्य समझौते का विषय है जो एक संसदीय अधिनियम, अर्थात् संविधान के अनुच्छेद 3 और 4 के तहत अधिनियमित राज्य संगठन अधिनियम द्वारा जारी है। धारा 108 का प्रभाव यह है कि सिंचाई और बिजली से संबंधित पूर्ववर्ती राज्यों के बीच समझौता

पीढ़ी, आदि जारी रहेंगे। नए राज्यों के संविदात्मक अधिकारों और देनदारियों की वैधानिक मान्यता है जो

किसी भी पार्टी राज्य द्वारा कानून या कार्यकारी कार्रवाई द्वारा एकतरफा रूप से प्रभावित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 3 और 4 के तहत कानून बनाने की संसद की शक्ति पूर्ण है और सभी क्षेत्रों में लागू होती है। उचित व्यवस्था
लागू करने के लिए आवश्यक विधायी विषय

राज्यों का पुनर्गठन। हम अधिनियम की धारा 108 की अयोग्यता के बारे में तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।

42. उक्त निर्णय सिंचाई या जल परियोजनाओं के संबंध में है जिसमें दोनों राज्यों के बीच मुद्दों का निर्णय

समझौता, जो वर्तमान कार्यवाही में कोई मुद्दा नहीं है। 1956 के अधिनियम की धारा 108 में ही विचार किया गया था कि यदि विवादों का निपटारा नहीं किया जाता है, तो केंद्र सरकार निर्णय लेगी। इस प्रकार, उठाया गया और तय किया गया मुद्दा वर्तमान मामले में उत्पन्न होने वाले मुद्दे से काफी अलग है।

43. पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय कश्मीर में सिंह-I सिख गुरुद्वारे के सदस्य की नियुक्ति पर विचार कर रहा था।

न्यायिक आयोग ने अधिसूचना दिनांक 4.7.1989 के माध्यम से। केंद्र सरकार ने 1966 के अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के उद्देश्यों के लिए हरियाणा राज्य के साथ परामर्श करके पंजाब राज्य को नामित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की थी। अधिसूचना की वैधता पर विचार करने वाली उच्च न्यायालय की पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने 1966 के अधिनियम की धारा 72 के दायरे पर भी विचार किया। पीठ के बहुमत ने माना कि बोर्ड एक अंतर-राज्य निकाय निगम है और केंद्रीय

सरकार अपने कामकाज के संबंध में निर्देश दे सकती है और

ऑपरेशन। चूँकि उत्तराधिकारी राज्य ने 1925 के अधिनियम के संबंध में न तो अपनाया और न ही निरस्त किया और न ही कोई प्रावधान किया, इसलिए केंद्र सरकार निर्देश देने में सक्षम होगी और बोर्ड काम करेगा। तदनुसार उत्तराधिकारी राज्यों में। यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

" 57. ... . 1966 के अधिनियम की धारा 72 की उप-धाराओं (1), (2) और (3) को पढ़ने से किसी को भी संदेह नहीं होगा कि बोर्ड एक अंतर-राज्य निकाय निगम है और केंद्र सरकार हरभजन सिंह बनाम।

हरियाणा राज्य और ओ. आर. एस. [हेमंत गुप्ता, जे।]

इसके कार्य और संचालन के संबंध में निर्देश दे सकते हैं। चूंकि उत्तराधिकारी राज्यों ने 1925 के अधिनियम के संबंध में न तो अपनाया है और न ही निरस्त किया है और न ही कोई प्रावधान किया है

या बोर्ड के लिए, विशेष रूप से, केंद्र सरकार, जब तक इस तरह के प्रावधान नहीं किए जाते हैं, तब तक जारी करने में सक्षम होगी।

निर्देश और बोर्ड उत्तराधिकारी के रूप में कार्य करेगा।

राज्यों।

XX

XX

XX

66. ..... यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जब तक अन्य प्रावधान नहीं किए गए थे, जो उत्तराधिकारी राज्यों की जरूरतों को पूरा कर सकते थे, तब तक केंद्र सरकार को निर्देश जारी करने थे। उत्तराधिकारी राज्यों के क्षेत्रों को परिभाषित किया गया है, यदि केंद्र सरकार के पास शक्ति निहित करने वाले प्रावधान नहीं किए जाने थे, इसके परिणामस्वरूप अराजकता पैदा हो सकती थी क्योंकि कोई भी उत्तराधिकारी राज्य उक्त राज्य में निर्दिष्ट नहीं किए गए क्षेत्रों में निर्देश जारी नहीं कर सकता था। ये निश्चित रूप से पूरक, आनुषंगिक और परिणामी प्रावधान थे ताकि संबंधित उत्तराधिकारी राज्यों में सभी निकायों और कानूनों का सुचारू रूप से काम हो सके जब तक कि प्रत्येक उत्तराधिकारी राज्य के लिए अपने क्षेत्र के भीतर निर्देश जारी करने के लिए उचित व्यवस्था नहीं की गई थी। धारा 72 के प्रावधान भी पूरक, आनुषंगिक और परिणामी प्रतीत होते हैं, जो अधिनियम के भाग VII के तहत आते हैं। यह

केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत अंतर-राज्य निकाय निगम को उन क्षेत्रों में काम करना और काम करना था, जिनके संबंध में वह नियत दिन से तुरंत पहले काम कर रहा था और काम कर रहा था, जब तक कि कानून द्वारा अन्य प्रावधान नहीं किए जाते, जैसा कि धारा 72 की उप-धारा (1) में विशेष रूप से प्रावधान किया गया है। उप.

धारा 72 की धारा (2) और (3) और कुछ नहीं बल्कि विस्तार या स्पष्टीकरण है यदि धारा 72 की उप-धारा (1) के तहत जारी किए जा सकने वाले निर्देशों के संबंध में संदेह अभी भी बना रह सकता है। ....

XX

XX

XX

69. ऐसा प्रतीत होता है कि महत्वपूर्ण शब्द 'जब तक निगम निकाय के संबंध में कानून द्वारा अन्य प्रावधान नहीं किए जाते हैं' माननीय पूर्ण पीठ के संज्ञान से बच गए। धारा 72, सामान्य से संबंधित

1925 के अधिनियम के तहत बोर्ड की तरह सांविधिक निगमों के बारे में प्रावधान आने वाले सभी समय के लिए एक उपाय होने का इरादा नहीं है, क्योंकि ऊपर उद्धृत शब्द स्पष्ट शब्दों में इसके विपरीत सुझाव देते हैं। 1966 के अधिनियम का उद्देश्य भी [2022] 12 एस. सी. आर.

यह स्पष्ट रूप से सुझाव देता है कि इसमें निहित प्रावधान पंजाब राज्य के पुनर्गठन के संबंध में आवश्यक पूरक, आनुषंगिक और परिणामी प्रावधान करने के लिए हैं। इसके तहत किए गए सभी उपाय, जब तक कि विशेष रूप से अन्यथा नहीं कहा जाता है, जैसे कि भाखड़ा नंगल और ब्यास परियोजना बोर्ड, अस्थायी हैं।

धारा 88 भी माननीय पूर्ण पीठ के संज्ञान से बच गई। भाग 2 के प्रावधान जो उत्तराधिकारी राज्यों के पुनर्गठन और निर्माण से संबंधित हैं, उन क्षेत्रों में किसी भी परिवर्तन को प्रभावित नहीं करते हैं जिन पर नियत दिन से तुरंत पहले कोई कानून लागू होता है। विस्तारित या लागू होता है। इसका स्पष्ट रूप से अर्थ है और यह सभी छोरों पर स्वीकृत स्थिति है कि धारा 88 में निहित प्रावधानों के आधार पर मौजूदा कानून स्वचालित रूप से लागू होंगे। 1925 के अधिनियम के संबंध में स्थिति अलग नहीं है। लेकिन यह प्रावधान एक बार फिर एक सर्वकालिक उपाय नहीं है क्योंकि एक सक्षम विधानमंडल, जिसका अनिवार्य रूप से अर्थ है उत्तराधिकारी राज्य का विधानमंडल भी, अपनी शक्ति के भीतर और पर्याप्त रूप से सक्षम होगा।

अन्यथा मौजूदा कानूनों का प्रावधान करें। यदि ऐसा है और किसी मामले में, उत्तराधिकारी राज्य, अपने विवेक से, अन्यथा कह सकता है, अर्थात 1925 का अधिनियम उक्त राज्य पर लागू नहीं होगा, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, बोर्ड अब एक अंतर-राज्य निकाय निगम नहीं होगा। उस मामले में कानून बनाने की शक्ति प्रविष्टि 44 के तहत केंद्र सरकार के पास नहीं होगी।

सूची-I (संघ सूची) 7 वीं अनुसूची। धारा 89 में निहित प्रावधान, जो उपयुक्त सरकार को शक्ति और अधिकार क्षेत्र प्रदान करते हैं, अनिवार्य रूप से उत्तराधिकारी राज्यों को नियत दिन से पहले बनाए गए किसी भी कानून को निरस्त या संशोधित करने के लिए शामिल करेंगे, एक बार फिर, ऐसा प्रतीत होता है कि यह माननीय पूर्ण पीठ के नोटिस से बच गया है। ऊपर उल्लिखित निष्कर्ष। हम प्रश्न संख्या निर्धारित करते समय पहले ही निर्णय ले चुके हैं। IV कि किसी क़ानून के प्रावधानों का अर्थ निकालने में अदालतों को एक ऐसे निर्माण को अपनाने में धीमी गति से काम लेना चाहिए जो क़ानून के किसी भी हिस्से को अर्थहीन या अप्रभावी बना देता है। इसे विस्तार से बताने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम पहले ही पर्याप्त विवरणों में चर्चा कर चुके हैं कि अदालतों को अधिनियम के प्रावधानों के सभी हिस्सों को आवश्यक रूप से अर्थ देना होगा और इसे पूरी तरह से प्रभावी और प्रभावी बनाना होगा।

XX

XX

XX हरभजन सिंह v. हरियाणा राज्य और ओ. आर. एस. [हेमंत गुप्ता, जे।]

हम यहाँ यह भी उल्लेख कर सकते हैं कि द्वारा निष्कर्ष

70. .....

पूर्ण पीठ जो केंद्र द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों को जारी रखे संघ सूची में प्रविष्टि 44 के आधार पर सरकार, बोर्ड

धारा 72 के आधार पर एक अंतर-राज्य निकाय निगमित होना

1966 के अधिनियम का भी, हमारे विचार में, इस रूप में कायम नहीं रह सकता है यदि

राज्य 1925 के अधिनियम को अनुकूलित, संशोधित या निरस्त कर सकते हैं,

एक अंतर-राज्य निकाय निगमित बना रहेगा और इसकी स्थिति इस पर वापस जाएँ कि यह 1925 के अधिनियम के तहत क्या था, अर्थात्, निकाय

निगम "।

(जोर दिया गया)

44. उपरोक्त बहुमत की राय को इस न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था

कश्मीर सिंह-द्वितीय के रूप में रिपोर्ट किया गया निर्णय, जिसमें यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया थाः

" 72. इसलिए, हमारी राय है कि स्थिति को देखते हुए

परिवर्तन, एक अर्थ जिसका श्रेय वर्ष 1925 में दिया जा सकता है आज वही अर्थ नहीं दिया जा सकता है। उपरोक्त के लिए

उद्देश्य, अधिनियम की धारा 40 और 70 को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए।

इसलिए पढ़ें, बहुमत की राय हमें आकर्षित करती है। इसकी वजह से ऐसी व्याख्या, यह आशंका कि राज्य होगा

मनमानी शक्ति से संपन्न को मिटा दिया जाता है "।

45. कश्मीर सिंह-I और कश्मीर में निर्णयों का अवलोकन

सिंह-द्वितीय यह दिखाएंगे कि उत्तराधिकारी राज्य 1925 के अधिनियम को अपना सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं या निरस्त कर सकते हैं। बोर्ड, एक अंतर-राज्य निकाय निगमित, अब एक अंतर-राज्य निकाय निगमित नहीं रहेगा और स्थिति 1925 के अधिनियम के तहत जो थी, यानी निगमित निकाय, उस पर लौटने की थी।

सरलीकरणकर्ता। यह अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 72 (1) आने वाले सभी समय के लिए एक उपाय होने का इरादा नहीं है और उत्तराधिकारी राज्य ऐसे निकाय निगमों के संबंध में कानून द्वारा अन्य प्रावधान करने में सक्षम हैं। 1966 के अधिनियम का उद्देश्य राज्य के पुनर्गठन के संबंध में आवश्यक, पूरक, आकस्मिक और परिणामी प्रावधान करना था।

पंजाब। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि सक्षम विधायिका, जिसका अनिवार्य रूप से अर्थ है उत्तराधिकारी राज्य का विधायिका, मौजूदा कानूनों के अलावा अन्य प्रावधान करने के लिए अपनी शक्ति और क्षमता के भीतर होगी। इसलिए, उत्तराधिकारी राज्य अपने विवेक से कह सकता है कि 1925 का अधिनियम उक्त राज्य पर लागू नहीं होगा।

निगमित निकाय के सुचारू और निरंतर कामकाज को सुनिश्चित करना ताकि पूर्ववर्ती पंजाब राज्य के पुनर्गठन के कारण यह एक अंतर-राज्य निकाय निगमित बनने पर लकवाग्रस्त न हो जाए। दिशा-निर्देश धारा 72 द्वारा अनुध्यात ऐसी निगमित संस्था के कार्यकरण और संचालन से संबंधित है। एक सक्षम राज्य विधायिका सातवीं अनुसूची की सूची II के संदर्भ में अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले विषयों पर कानून बनाने की अपनी शक्ति से वंचित नहीं है। 1966 का अधिनियम राज्य विधानमंडल को संविधान में निर्धारित सीमाओं के अधीन, सातवीं अनुसूची की सूची II या सातवीं अनुसूची की सूची III के तहत आने वाली अपनी विधायी क्षमता के क्षेत्रों में कानून बनाने से नहीं रोकता है।

प्रश्न सं. (iii)-क्या विवादित अधिनियम (हरियाणा अधिनियम) हरियाणा राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता के अंतर्गत आता है या यह सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 44 में आता है। संविधान का?

47. रिट याचिकाकर्ता की प्राथमिक निर्भरता राजेंद्र एन. शाह के रूप में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के फैसले पर है। इससे पहले का मुद्दा

न्यायालय ने उक्त निर्णय में कहा कि क्या भाग IX-B को प्रस्तुत करने वाला संविधान का 97 वां संशोधन, जिसे गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 368 (2) के प्रावधान के तहत आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन के अभाव में गैर-कानूनी पाया गया था, टिकाऊ है। इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को बरकरार रखा और निम्नलिखित रूप में टिप्पणी कीः

" 23. जहाँ तक सहकारी समितियों का संबंध है, यह देखा जा सकता है कि यह पूरी तरह से राज्यों के लिए कानून बनाने का मामला है।

यह प्रविष्टि 32 सूची II में उल्लिखित अंतिम विषय है। इस स्तर पर, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सूची I की प्रविष्टि 43, जो संबंधित है

निगमन, विनियमन और व्यापार को समाप्त करने के साथ

बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सहित निगम निगम स्पष्ट रूप से सहकारी समितियों को इससे बाहर रखते हैं।

महत्वाकांक्षा। प्रविष्टि 44 सूची I, जो प्रविष्टि 43 से व्यापक है क्योंकि यह व्यापारिक निगमों तक सीमित नहीं है, उन निगमों की बात करती है जिनके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं हैं। इसलिए इस न्यायालय ने इन प्रविष्टियों को पढ़ने पर यह अभिनिर्धारित किया है कि जब एक राज्य तक सीमित नहीं उद्देश्यों वाली बहु-राज्य सहकारी समितियों की बात आती है, तो हरभजन सिंह बनाम।

हरियाणा राज्य और ओ. आर. एस.

[हेमंत गुप्ता, जे।]

विधायी शक्ति भारत संघ की होगी जो है -

प्रविष्टि 44 सूची I. इस प्रकार, दमन सिंह बनाम में निहित है। की स्थिति

पंजाब, (1985) 2 एस. सी. सी. 670, इस न्यायालय ने निर्धारित कियाः

" 7. .... श्री राममूर्ति के अनुसार सूची I और एक्सप्रेस की प्रविष्टि 43 में सहकारी समितियों का स्पष्ट बहिष्कार

सूची-2 की प्रविष्टि 32 में सहकारी समितियों को शामिल करना

सूची I और विश्वविद्यालयों में निर्दिष्ट निगमों के अलावा अलग से और इसके अलावा, स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि संवैधानिक योजना सहकारी समितियों को निगमों से अलग संस्थानों के रूप में मानने के लिए बनाई गई थी। दूसरी ओर कोई यह सोचेगा कि सहकारी का उल्लेख ही अन्य निगमों के साथ-साथ सूची I की प्रविष्टि 43 और सूची II की प्रविष्टि 32 दोनों में समितियों ने संकेत दिया कि संविधान निर्माताओं का विचार था कि सहकारी समितियां अन्य निगमों के समान वंश की थीं और सभी निगम थे। वास्तव में सूची I की प्रविष्टि 43 से सहकारी समितियों का स्पष्ट बहिष्कार इस दृष्टिकोण का संकेत है कि लेकिन इस तरह के बहिष्कार के लिए, सहकारी समितियों को इसके भीतर समझा जाएगा।

"निगम" अभिव्यक्ति का अर्थ।

26. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि जहां तक विषय 'सहकारी समितियों' का संबंध है, कोई भी ओवरलैप नहीं है। एक विषय वस्तु के रूप में सहकारी समितियाँ पूरी तरह से और विशेष रूप से राज्य विधानमंडलों का विधान बनाना, जबकि बहु-राज्य सहकारी समितियाँ अर्थात सहकारी समितियाँ जिनके उद्देश्य केवल एक राज्य तक ही सीमित नहीं हैं, विशेष रूप से संसद के अधिकार क्षेत्र में हैं। यह मामला होने के कारण, इस मामले के तथ्यों पर यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कोई ओवरलैप नहीं है और इसलिए, द्वारा निर्धारित संघीय सर्वोच्चता सिद्धांत को लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है

इस न्यायालय के निर्णय। इसलिए हमारे पास जो बचा है वह है

जहाँ तक सहकारी समितियों का संबंध है, राज्य विधानमंडलों के साथ कानून बनाने की अनन्य शक्ति, जो सूची II की प्रविष्टि 32 के साथ पठित अनुच्छेद 246 (3) में निहित है। वास्तव में, के. दामोदरसामी नायडू एंड ब्रदर्स में। वी. टी. एन. राज्य, (2000) 1 एस. सी. सी.

521 , इस अदालत ने फैसला सुनाया किः

" 21. संसद, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्तियों का प्रयोग करते समय, संशोधन नहीं कर सकती और न ही करती है।

राज्य अधिनियम। संविधान में ऐसा कोई अन्य प्रावधान नहीं है जो इसकी अनुमति देता हो और इस न्यायालय का ऐसा कोई निर्णय नहीं है कि [2022] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

रखता है। राज्यों के लिए कानून बनाने की शक्ति

सातवीं अनुसूची में सूची II में सूचीबद्ध मामले विशेष रूप से हैं -

राज्य विधानमंडलों का। .....

(जोर दिया गया)

81. उच्च न्यायालय के फैसले को इस सीमा को छोड़कर बरकरार रखा जाता है

कि यह संविधान के भाग IXB की संपूर्णता को समाप्त कर देता है

भारत। जैसा कि हम ऊपर मानते हैं, यह घोषित किया जाता है कि भाग IXB

भारत का संविधान केवल तब तक लागू है जब तक यह कई मुद्दों से संबंधित है। विभिन्न राज्यों के भीतर और राज्यों में राज्य सहकारी समितियाँ

भारत के केंद्र शासित प्रदेश। अपीलों का तदनुसार निपटारा किया जाता है। "से।

48. उक्त निर्णय वर्तमान तथ्यों पर लागू नहीं होता है।

हालाँकि यह मामला सूची I की प्रविष्टि 44 और सूची II की प्रविष्टि 32 से संबंधित है। न्यायालय संवैधानिक संशोधन की वैधता पर विचार कर रहा था और पाया कि यह पूरी तरह से राज्यों पर है कि वे सूची II की प्रविष्टि 32 में आने वाली सहकारी समितियों के संबंध में कानून बनाएँ। यह केवल बहु-राज्य सहकारी समितियाँ हैं जो प्रविष्टि 44 के संदर्भ में कानून बनाने की संसद की शक्ति के भीतर आती हैं। सहकारी समितियों के संबंध में संसद द्वारा किया गया संशोधन आधे सदस्यों की मंजूरी से नहीं था।

राज्यों को। उक्त निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है क्योंकि हरियाणा अधिनियम का कोई अतिरिक्त-क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं है कि यह एक से अधिक राज्यों पर लागू नहीं होता है। एस. जी. पी. सी. एक बोर्ड था जो वर्ष 1966 में राज्य के पुनर्गठन से पहले अंतर-राज्य निकाय निगम था। पुनर्गठन ने एस. जी. पी. सी. को एक अंतर-राज्य निकाय निगमित के रूप में प्रस्तुत कर दिया है, लेकिन निगमों के निगमन के विषय पर कानून बनाने की विधायी शक्ति निगम के भीतर होगी।

हरियाणा राज्य विधानमंडल की अधिकारिता। प्रविष्टि 32 अनिगमित व्यापार, साहित्यिक, वैज्ञानिक, धार्मिक और अन्य समाजों और संघों से संबंधित है। इस तरह के असंबद्ध व्यापार, साहित्यिक, वैज्ञानिक, धार्मिक और अन्य समाजों और संघों के संबंध में, सक्षम विधायिका राज्य है। सूची I की प्रविष्टि 44 के संदर्भ में, संसद का अधिकार क्षेत्र केवल तभी होगा जब 1925 के अधिनियम के तहत एस. जी. पी. सी. एक अंतर-राज्य इकाई बनी रहे। उत्तराधिकारी राज्यों का अधिकार क्षेत्र या तो एक नए कानून को निरस्त करने, संशोधित करने या लागू करने के लिए 1966 के अधिनियम द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया है।

हालाँकि यह संविधान के अनुच्छेद 2,3 और 4 के अर्थ के भीतर एक विशेष कानून है। एस. जी. पी. सी. अंतर-राज्य निकाय निगमित बन गया क्योंकि नहीं प्रविष्टि 44 की सूची I लेकिन पूर्ववर्ती पंजाब राज्य के क्षेत्रों के पुनर्गठन के कारण। इसलिए, प्रविष्टि 44 की कोई प्रयोज्यता नहीं होगी-हरभजन सिंह बनाम।

हरियाणा राज्य और ओ. आर. एस. [हेमंत गुप्ता, जे।]

हरियाणा राज्य की विधायी क्षमता के संबंध में अधिनियम बनाने के लिए हरियाणा अधिनियम।

49. हरियाणा राज्य और हरियाणा समिति के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्याम दीवान और श्री रंजीत कुमार का तर्क है कि हरियाणा अधिनियम को लागू करने की शक्ति का स्रोत सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 32, सूची II है। इस तरह की शक्ति का प्रयोग करते हुए, एक वैधानिक निकाय बनाने की मांग की जाती है; जबकि, सूची III की प्रविष्टि 28 दान और धर्मार्थ संस्थानों, धर्मार्थ और धर्मार्थ संगठनों से संबंधित है।

50. श्री नटराज का तर्क है कि 1957 के अधिनियम की धारा 3 के तहत, जो अंतर-राज्य निकायों से संबंधित है, राज्य सरकार को एक योजना तैयार करने की आवश्यकता है क्योंकि 1925 के अधिनियम के तहत एस. जी. पी. सी. का पुनर्गठन और अंतर-राज्य निगम होने के नाते पुनर्गठन करने की मांग की गई है। ऐसी योजना को केंद्र सरकार को अग्रेषित करने की आवश्यकता है। इस प्रकार यह केंद्र सरकार जो इस प्रकार बनाई गई योजना को संशोधित करने के लिए सक्षम है। इसलिए, यह तर्क दिया जाता है कि 1925 के अधिनियम के तहत एस. जी. पी. सी. एक अंतर-राज्य निगम होने के नाते 1957 के अधिनियम में दिए गए तरीके से ही निपटा जा सकता है।

51. 1966 अधिनियम के साथ-साथ 1957 अधिनियम को शक्ति प्रदान करता है

नए राज्यों के सुचारू रूप से हस्तांतरण के लिए केंद्र सरकार

पुनर्गठन के परिणामस्वरूप अस्तित्व। 1966 के अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो उन विषयों के संबंध में संसद को विधायी शक्ति प्रदान करता है जिन पर सूची II के संदर्भ में राज्य की विधायी क्षमता है। इसलिए, संक्रमणकालीन प्रावधान यानी 1966 अधिनियम या 1957 अधिनियम की विधायी क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

सूची-2 में उल्लिखित विषयों पर कानून बनाने के लिए राज्य विधानमंडल।

प्रश्न सं. (iv)-क्या विवादित अधिनियम सूची-III (समवर्ती सूची) अनुसूची VII में आता है, जिसके लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 (2) के अनुसार भारत के राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है, और ऐसी सहमति के अभाव में, शून्य है?

2] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

52. उक्त प्रश्न विचारार्थ नहीं है क्योंकि विवादित हरियाणा अधिनियम सातवीं की सूची III की प्रविष्टि 28 में नहीं आता है।

अनुसूची. ऐसी प्रविष्टि इस प्रकार हैः

" 28. धर्मार्थ और धर्मार्थ संस्थान, धर्मार्थ और धार्मिक दान और धार्मिक संस्थान "।

53. समवर्ती सूची में इस तरह की प्रविष्टि को देखते हुए, राज्य दान, धर्मार्थ संस्थानों, धर्मार्थ और धार्मिक दान और धार्मिक संस्थानों के संबंध में कानून बना सकता है। की सहमति राष्ट्रपति की आवश्यकता होगी यदि कोई मौजूदा क़ानून है और राज्य का कानून केंद्रीय कानून के कुछ प्रावधानों के विपरीत है। हरियाणा समिति एक न्यायिक इकाई का निगमन है जो अधिक

इस कारण से कि इसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित नहीं रखा गया है। इस तरह का तर्क इस कारण पर आधारित है कि 1925 का अधिनियम एक अंतर-राज्यीय विधान है, इसलिए राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। जैसा कि पहले कहा गया है, 1925 का अधिनियम मूल रूप से राज्य विधायिका द्वारा अधिनियमित एक अंतर-राज्यीय विधान था। बाद में यह केवल 1966 के अधिनियम के आधार पर एक अंतर-राज्यीय निकाय बन गया। सत्ता के बाद से राज्य विधानमंडल को प्रदत्त विधान किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हुआ है, इसलिए राज्य को सूची III की प्रविष्टि 28 या सूची II की प्रविष्टि 32 दोनों के तहत कानून बनाने की शक्ति होगी क्योंकि 1925 का अधिनियम एक अंतर-राज्य निकाय निगम नहीं है जिसके संबंध में संसद ने ऐसे बोर्ड को शामिल किया था। इसलिए, हम उक्त में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।

तर्क।

प्रश्न संख्या (i)-क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत याचिकाकर्ताओं के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है, ताकि याचिकाकर्ताओं को अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने का अधिकार मिल सके।

संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय का?

55. यह विवादित नहीं है कि हरियाणा अधिनियम 1925 के अधिनियम के समान है जिसमें प्रबंधन के लिए एक समिति के गठन के समान प्रावधान हैं।

अधिनियम के तहत मामले। हरियाणा समिति हरभजन सिंह बनाम समिति है।

हरियाणा राज्य और ओ. आर. एस. [हेमंत गुप्ता, जे।]

राज्य के भीतर गुरुद्वारों और गुरुद्वारा संपत्तियों के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए हरियाणा अधिनियम की धारा 3 के तहत गठित

राज्य में अल्पसंख्यकों का प्रबंधन केवल सिखों द्वारा किया जाना है, इसलिए इसे संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत प्रदत्त किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है। 56. यह प्रश्न कि क्या रिट याचिका विचारणीय है, इस आधार पर सकारात्मक, अन्य बातों के साथ-साथ उत्तर दिया जाता है कि उक्त रिट याचिकाएं इस न्यायालय के समक्ष लगभग 8 वर्षों से लंबित हैं, जिसमें एक अंतरिम आदेश पूरे समय से लागू है। इसके अलावा,

विशुद्ध रूप से वैध होने के कारण, दोनों मामलों में उत्पन्न होने वाले मुद्दों को अंतिम रूप देने के लिए प्रश्नों की जांच की गई है।

57. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम रिट याचिकाओं में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। वही खारिज कर दिए जाते हैं।

सिविल अपील सं। 6614 2022 का

58. वर्तमान अपील में चुनौती पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित 8.3.2018 दिनांकित आदेश को दी गई है। चुनौती दिनांकित 6.3.2018 अधिसूचना के लिए है जिसमें अधिसूचना दिनांकित है

29.8.2014 अपीलार्थी को अतिरिक्त आयुक्त गुरुद्वारा चुनाव के रूप में नियुक्त करना रद्द कर दिया गया था।

59. अपीलार्थी को पाँच साल के लिए अतिरिक्त आयुक्त गुरुद्वारा चुनाव के रूप में 29.8.2014 पर नियुक्त किया गया था। अतिरिक्त आयुक्त गुरुद्वारा चुनाव का पद हरियाणा सिख 1166 के तहत था।

गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम, 2014। उपरोक्त अधिनियम के अधिकार इस न्यायालय द्वारा बरकरार रखे गए हैं।

60. अपीलार्थी ने किसी भी कार्य का निर्वहन नहीं किया है

इस न्यायालय द्वारा रुकें। इसलिए नियुक्ति को रद्द कर दिया गया। अपीलार्थी को पाँच साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था, यहां तक कि बी के लिए कार्यकाल जो अपीलार्थी को नियुक्त किया गया था, समय के साथ समाप्त हो गया है।

61. इसलिए, अपीलार्थी के पास वर्तमान अपील में कोई कारण नहीं है। इस प्रकार याचिका खारिज कर दी जाती है।

देविका गुजराल

(सहायकः प्रीतम भारती, एलसीआरए)